लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10–सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11–लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12– बड़े नोट 500, 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13–हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओं के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14–भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15–समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16–देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17–सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18–कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19–गरीबों की सही पहचान और उन्हे निःशुल्क कोई चीज न दे कर उन्हें रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20– टोल टैक्स समाप्त करना।

पाठक के नाम

लोक जागृति (NGO) की स्थापना स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। स्वामी नारायण जी ने लोक जागृति के लिए सन्यास लिया था। स्वामी नारायण धर्म की स्थापना और उस के प्रचार प्रसार के लिए अक्षर धाम मन्दिर की स्थापना पूरे, विश्व में कई जगह पर हुई है। दिल्ली के अक्षरधाम मन्दिर का नाम गिनीजबुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज है। स्वामी नारायण का जन्म जिला गोण्डा के छपिया में हुआ था, श्री स्वामी नारायण जी जस प्रेरणा लेकर, लोक जागृति (NGO) की स्थापना की गयी और उसी क्रम में लोक जागृति पत्रिका का सम्पादन किया जा रहा है। यह पत्रिका लोगों को कानूनी एव अन्य उपयोगी जानकारी के साथ–साथ स्वामी नारायण के लोक जागृति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश के हिन्दी भाषी क्षेत्र में प्रधान एवं उपप्रधान को निःशुल्क पत्रिका देती है, और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को जानने समझने का प्रयास किया जाता है। लोक जागृति द्वारा वृद्धाश्रम, निःशुल्क कानूनी सहायता व सामाजिक अकेक्षण का कार्य किया जाता है जिसके माध्यम से सरकारी विभागों मे कैम्प लगा कर आम जनता से जानकारी ली जाती है कि लोग उनके काम से कितना सन्तुष्ट है। लोक जागृति पत्रिका सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करती है साथ में सम्मानित भी करती है। हमारा मुख्य उद्देश्य गॉवों मे पत्रिका का वितरण करना तथा वहां के लोगों की आवाज को देश की राजधानी तक पहुंचाना है। जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके और लोग अपनी बात सही तरीके से सरकार तक पहुंचा सके। सरकार लो. कहित में सही कार्य कर सके और नीतियां बना सके। लोक जागृति 80G, 12A में रजिस्टर्ड है। इसकी लोकप्रियता किसानो, गरीब, पढ़े, लिखे ईमानदार लोगों, छात्रो मे है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे कानूनी जानकारी से सम्बन्धित लेख से लोगों को पुलिस अत्याचार, अवैध वसूली भष्टाचार से लड़ने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला है साथ मे स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी से लोगों को स्वास्थ्य से सम्बन्धित अच्छी–अच्छी जानकारी मिल रही है। संस्था का प्रबंधन सेवारत एवं सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ अधिकारी, एडवोकेट, न्यायाधीश आदि हस्तियों द्वारा किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि इस एन. जी.ओ. और मासिक पत्रिका को आप सभी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें जिसका उपयोग जनता के हित में किया जाना है।

लोक जागृति पत्रिका का सदस्य बनें

सम्पर्क करें : 9560522777

आवश्यकता है

निर्भीक संवाददाताओं और विज्ञापनदाताओं की। आप पत्रकार हैं, मगर आपकी खोजी रिपोर्ट दबाई जा रही है तो हमें भेजें।

लोक जागृति पत्रिका

95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उप्र
9810960818
lokjagriti@gmail.com www.lokjagriti.com

Suresh pandey **Mob-9810514888**

INDIAN/FOREIGN BOOKS, JOURNALS
NEW/OLD (LAW BOOKS), BACK VOLUMES
& SUBSCRIPTIONS SUPPLIER

SK

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT.LTD

E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi-110092
Email: - suresh66pandey@gmail.com
pandeysureshk@gmail.com

पूर्वांचल में गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल बने डॉ0 अशीष पाण्डेय दीपू

अयोध्या विरासत में मिली राजनैतिक पृष्ठभूमि को और भी चटक कर रहे है पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी ब्राहमण सभा समाजवादी पार्टी के डॉ0 अशीष पाण्डेय दीपू कहते है कि व्यक्ति की पहचान उसके खुद के कर्मो से होती है ऐसा ही कुछ खास डॉ आशीष पाण्डेय दीपू के साथ भी है जो पिता जयशंकर पाण्डेय द्वारा दी गयी शिक्षा और विरासत को सहेज कर आम जनमानस में एक स्वच्छ, ईमानदार और कर्म प्रधान व्यक्तित्व के रूप में मौजूद हुये हैं और स्वच्छ राजनैतिक छवि को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2000 में पूर्वांचल के सबसे बड़े शिक्षा स्थल का0सु0 साकेत स्नाकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति से अपने राजनैतिक कैरियर की शुरूआत करने वाले डा0 आशीष पाण्डये 'दीपू' की प्रारम्भिक शिक्षा फैजाबाद कैण्ट स्थित सेन्ट मैरी स्कूल व माध्यमिक शिक्षा एस0एस0वी0 स्कूल के साथ ही उच्च शिक्षा पूर्वांचल के सर्वाधिक छात्र संख्या का कीर्तिमान स्थापित करने वाले कामता प्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या में प्राप्त किये इसके उपरान्त श्री पाण्डेय नें राजनीति के साथ ही अपनी शिक्षा जारी रखते हुये पी0एच0डी0 की उपाधि डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से प्राप्त की पारिवारिक माहौल और पिता की राजनैतिक सक्रियता से प्रभावित होकर उन्होनें नें भी राजनीति की पगडंडियों पर अपना आगे का सफर प्रारम्भ किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर पीछे नहीं देखा। डा0 आशीष पाण्डेय 'दीपू' की मेहनत व निष्ठा का नतीजा रहा कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले बसपा सरकार में ब्राम्हणों के हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने और समाजवादी पार्टी के पक्ष में ब्राम्हण मतों को जागरूक करने के लिये पार्टी हाईकमान नें डा0 आशीष पाण्डेय 'दीपू' को सन् 2011 में समा. जवादी ब्राम्हण सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही फैजाबाद मण्डल का प्रभारी भी बनाया जिसका परिणाम सन् 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 22 वर्षो से गढ़ मानी जाने वाली अयोध्या की सीट पर अपनी मेहनत से ब्राम्हण मतों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाम्बन्द कर अयोध्या से ऐतिहासिक विजयश्री मिलने में महत्वपूण भूमिका अदा की साथ ही फैजाबाद मण्डल में समाजवादी पार्टी के पक्ष में सर्वाधिक सीटों को जिताने के साथ अपनी मेहनत के बल पर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मुँहतोड़ जवाब दिया। उनकी मेहनत को देखकर और सभी चरणों में उनको प्रभारी बनाकर पश्चिम के जिलों में भी भेजा गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव रहते हुये पूर्वांचल समेत अन्य मण्डलों गोरखपुर, कानपुर, देवीपाटन, फैजाबाद मण्डलों के प्रभारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जिसका परिणाम यह रहा कि संगठन के पदाधिकारियों और पार्टी के हाईकमान डा0 आशीष पाण्डेय 'दीपू' को राष्ट्रीय महासचिव के महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी दिया तथा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का प्रभारी भी नियुक्त किया। वर्ष 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में ब्राम्हण मतों को लामबंद करने के लिये महाराष्ट्र भेजा गया। महाराष्ट्र से लौटने के बाद सपा सुप्रीमों नेता जी श्री मुलायाम सिंह यादव जी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद 76वें जन्म दिवस पर 76 दिवसीय (22 नवम्बर 2014 से 05 फरवरी 2015) जन्मोत्सव समारोह कार्यक्रम अयोध्या में विश्व हिन्दूपरिषद की कार्यशाला और कारसेवकपु. रम के मध्य में लगातार 76 दिनों तक मनाकर विश्व हिन्दूपरिषद और भारतीय जनता पार्टी को सोचनें पर मजबूर कर दिया तथा और एक नई परम्परा की शुरूआत की जोकि अपने नेता के लिये अनोखी होने के साथ–साथ पूरे प्रदेश तो क्या पूरे देश में समर्पण की मिसाल बनी।

राममन्दिर आंदोलन में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश के आरोपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दीर्घायु और यशस्वी बना और नेता जी द्वारा स्थापित पार्टी के जनाधार में वृद्धि हेतु और उनका राजनैतिक पथ निशकंटक करने के लिये गत वर्ष रामनगरी में 76 दिवसीय अभियान चला चुके समाजवादी ब्राम्हण सभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं जनेश्वर मिश्र सेवा फाउन्डेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डा0 आशीष पाण्डेय 'दीपू' का सपा सुप्रिमों के प्रति समपर्ण उनके पिता व वर्तमान जिला सपा अध्यक्ष जयशंकर पाण्डेय से मिली शिक्षा का परिणाम है। ऐसे में जबकि राजनैतिक दलों में युवाओं को आगे लाया जा रहा है और सभी पार्टियाँ युवाओं को ज्यादा तरजीह दे रही हैं। डा0 आशीष पाण्डेय 'दीपू' पूर्वांचल के सपा से जुड़े ब्राम्हण नौजवानों के लिये एक आदर्श बन रहे हैं। सपा के प्रारम्भिक काल से मुलायम सिंह यादव के साथ पार्टी का झंडा संभालने वाले जयशंकर पाण्डेय नें सन् 1990 व 1992 जैसे राममंदिर आंन्दोलन के समय भी मुलायम सिंह यादव जी के नाम को विश्व हिन्दूपरिषद और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जिन्दा रखा। पिता से बचपन में ही मिली सीख डा0 आशीष पाण्डेय 'दीपू' के जीवन में धीरे–धीरे बलवती होती गयी। गतवर्ष रामनगरी में 76 दिवसीय जन्मोत्सव समारोह कार्यक्रम चलाकर गंगा–जमुनी तहजीब को बलवती करने साथ ही फिरका परस्त ताकतों के मनसूबों पर पानी फेरने का भी कार्य कर रहे हैं।(वि.)

संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।

लोक जागृति पत्रिका

फरवरी 2016 वर्ष 6 अंक 2

संरक्षक

कपिल सिंघल

डा। ए.जी. अग्रवाल

संपादक

संतोष कुमार मिश्र (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार सम्पादक

अश्विनी मिश्र

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय

विजय बहादुर सिंह

तेज सिंह यादव (एडवोकेट)

दयानंद शुक्ला

गिरीश त्रिपाठी

एस.बी.एस. गौतम

सत्येंद्र श्रीवास्तव

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)

राजेश कुमार मिश्र

कमल कांत त्रिपाठी (एडवोकेट)

तरुण गुप्ता (एडवोकेट)

पूनम सिंह (एडवोकेट)

शोभा चौधरी

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

महेन्द्र पाण्डेय (एडवोकेट)

प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

बृजमोहन

सर्कुलेशन

संदीप माथुर

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा (ए.ओ.आर.)

साज सज्जा

A.N.R. Creation

9868632759

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक

संतोष कुमार मिश्र

द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

चार पहरेदार कौन जिम्मेदार! हां यह सही है हमारे देश में संविधान में प्रजातंत्र की रक्षा के चार स्तम्भ हैं जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और प्रेस है। यही चारों प्रजातंत्र के संरक्षक होते हैं, लेकिन इनकी अपनी किसी स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी देश की जनता एवं करदाताओं की है। देश में एक भिखारी भी कर देता है। यदि आप और हम आयकर न दे तो नोटिस आ जाएगा, हाऊस टैक्स न दो बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा लेकिन हमारे चारों स्तम्भ पर किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं है। जिस तरह से बस के चालक की कोई जिम्मेदारी न होकर जिम्मेदारी बस में बैठे पैसेन्जर की होती है। बस कैसे चलेगी वह आप जानते हैं। यही हाल देश के चलाने वालों पर है। जनता को नींबू की तरह से निचोड़ कर रस कुछ लोगों को दे दिया जाता है। अभी हाल में महाराष्ट्र हाईकोर्ट द्वारा एक फैसले में कहा कि यदि भ्रष्टाचार कम न हो तो जनता टैक्स देना बंद कर दे। दूसरा दिल्ली में बनी अवैध सैकड़ों कॉलोनी, अनियोजित निर्माण जिसके कारण दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। यह कोर्ट को कहना पड़ा।

देश की जनता को अन्ना आंदोलन से कुछ उम्मीद जो बनी थी, लेकिन उससे जनता में निराशा ही हाथ लगी है, अब कुछ वर्षों तक जनता का नए आंदोलन से भरोसा उठ गया। देश में भ्रष्टाचार के विरोध में जेपी आंदोलन हुआ उसके बाद अन्ना आंदोलन और दोनों आंदोलन का परिणाम आप लोगों के सामने है। साल भर में दो कानून मंत्री जेल जा चुके हैं और दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो गई है जिसके बारे में कहना ही क्या है। सिर्फ प्रचार के अलावा कुछ है ही नहीं। मोदी जी द्वारा अच्छे दिनों का नारा दिया गया था और उसी के सहारे वह सत्ता में भी पहुंचे लेकिन जिस वादे के साथ वह आए वह सब अभी तक फ्लाप शो ही साबित हो रहा हो चाहे काला धन हो, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार सभी मुद्दे पड़े ही रह गए। बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल विकास पर सरकार काफी बढ़चढ़ कर काम कर रही है लेकिन इसमें बेरोजगार का कौशल विकास कम हो रहा है इसमें कुछ गिने-चुने लोगों का अपना विकास हो रहा है और यह भी एक महाघोटाले के रुप में सामने आने वाली है। इसे ही कहते हैं बड़ी कठिन है डगर पनघट की। देश की जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, शासन कुशलपूर्वक चले, सबके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे, किसी के साथ भेदभाव न हो इसी को ध्यान में रख कर संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा। किन्तु इसे दुर्भाग्य कहे कि निजी स्वार्थ के लिए हमारे राजनेताओं ने संविधान को मनमर्जी से तोड़ा-मरोड़। कई मामलों में संविधान की मूल भावना का उल्लंघन भी किया गया।संविधान निर्मातओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका रुपी तिरंगे का गठन इसलिए किया था कि जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों का फायदा जनता बखूबी उठा सके। संविधान में व्यवस्था की गर्ठ हे कि विधानपालिका विधि निर्माण करे कार्यपालिका विधियों का कार्नान्वयन और प्रशासन की देख-रेख करे तथा न्यायपालिका विवादों का फैसला और विधियों की व्याख्या करे, किन्तु ऐसा होता नहीं है। विधायिका पथभ्रष्ट हो रही है और कार्य पालिका अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही? कहा जाए तो सिर्फ नीतियों की विसंगतियां, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, घोटालों का न्यायपालिका केवल आपातकालीन दवाई का ही काम कर सकती है। अंततः विधायिका और कार्यपालिका को अपना-अपनाकाम ईमानदारी के साथ करना होगा लेकिन आज के समय में विधानिका एवं कार्यपालिका न्यायालयों के निर्णय को ठीक लागू नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायलय के रिपोटेड निर्णय है जिसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हमारा सुझाव है कि सरकार को सर्वप्रिय शिक्षा में सुधार लाना चाहिए। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीय करण करके इसे सेना के हवाले करके बच्चों को शिक्षित करना जरुरी है क्योंकि लोगों में नैतिक शिक्षा जरुरी है क्योंकि कानून चाहे जितना बना लो बिना नैतिकता के सब बेकार है।

समय का ज्ञान इंसान को तब होता है, जब वह समय गवां चुका होता है।

दबंगों के कब्जे में जमीनी लोकतंत्र

विजय बहादुर सिंह

इस पंचायती राज चुनाव में लो. कतंत्र का सर्वाधिक बदरंग चेहरा सामने आया है। एक बार फिर साबित हुआ कि सत्ता के सहारे कम से कम सबसे निचले स्तर के लोकतंत्र का अपहरण तो किया ही जा सकता है। ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्षों के चुनाव में साम, दाम, दंड, भेद का खुलकर इस्तेमाल किया गया। दबंगई का आलम यह रहा कि कहीं सैकड़ों बीडीसी सदस्य बंधक बना लिए गए तो कहीं उनका अपहरण कर लिया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान लगभग रोज ही हिंसा की घटनाएं मीडिया की सुर्खियों में रहीं। चुनाव के दिन भी दर्जनों जिलों में हिंसा हुई, जिसमें उंगली अक्सर प्रशासन की तरफ उठी। दरअसल पुलिस और जिला प्रशासन सत्तारुढ़ दल के प्रतिनिधि की भूमिका में थे। कई स्थानों पर बीडीसी सदस्यों को वोट देने से रोकने के लिए उन पर आपराधिक मुकदमे तक दर्ज करा दिए गए। विपक्षी दलों ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। दिखावे के लिए कई जिलों में छापे भी मारे गए, लेकिन चुनाव के नतीजे सत्तारुढ़ दल के अनुरूप ही रहे हैं।

धांधली की दर्जनों शिकायतें निर्वाचन आयोग के पास हैं, जिन पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह सत्ता के दुरुपयोग की कई शिकायतें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तक भी पहुंची, जिन्हें अदालत ने गंभीर माना है। उसने इन पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सत्ता का दुरुपयोग कर विरोधी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह बेहद दुखद स्थिति होगी। इसका अर्थ होगा कि प्रदेश में निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कराने की मंशा पूरी तरह से ध्वस्त हुई है।

हैरत तब होती है जब पैसे और बाहुबल की ताकत नरेंद्र मोदी के गढ़ बनारस और राहुल गांधी के जिले अमेठी में भी दिखाई पड़ी। इन दोनों क्षेत्रों के परिणाम भी सत्तारुढ़ दल के पक्ष में गए। जब प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी, तब भी कमोबेश इसी तरह के परिणाम सामने आए थे। 1997 में जब बीजेपी सत्ता में थी, तब उसके 40 से अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष बने। 2005 में एसपी के शासन में एसपी का दबदबा हो गया। 2007 में बीएसपी सत्ता में आई, तब आधा दर्जन जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों ने बीएसपी का दामन थाम लिया। 2012 में सूबे में एसपी सरकार आई, तब कई जिलों के बीएसपी पंचायत अध्यक्ष एसपी के हो गए। जो सरकार के साथ नहीं आए, उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया।

पंचायत चुनाव यानी बुनियादी लोकतंत्र का यही सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का स्वरूप निर्दल है। किसी दल को चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किए जाते। ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना में दलीय प्रतिबद्धताओं को स्थान नहीं दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने दलीय राजनीति के विच. ारों से पंचायतों को बचाने के लिए यह व्यवस्था बनाई है। लेकिन दलों की तरफ से, खासकर सत्तारुढ़ दल की तरफ से जिस तरह धन बल का प्रदर्शन दिखा, उससे पंचायतों में निर्दल लो. कतंत्र और ग्राम स्वराज की भावना तिरोहित हो गई है। दागदार चेहरे यूपी के इन नुमाइंदों में आपराधिक छवि वालों की भरमार है। साफ–सुथरे चेहरों की गिनती उंगलियों पर हो सकती है। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों में ज्यादातर अपने क्षेत्र के दबंग हैं या मंत्री, सांसद, विधायक के रिश्तेदार। आम धारणा भी यही है कि जिसके पास बाहु. बल नहीं, खर्च करने के लिए करोड़ों रुपये नहीं, वह गांव की सरकार की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। सचाई समझनी हो तो सूबे भर में निकले अलग–अलग विजय जुलूसों की खबरें और उनका चरित्र देख लीजिए। हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों के शिक्षा का स्तर क्या है, इसे सिर्फ दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। राजधानी के

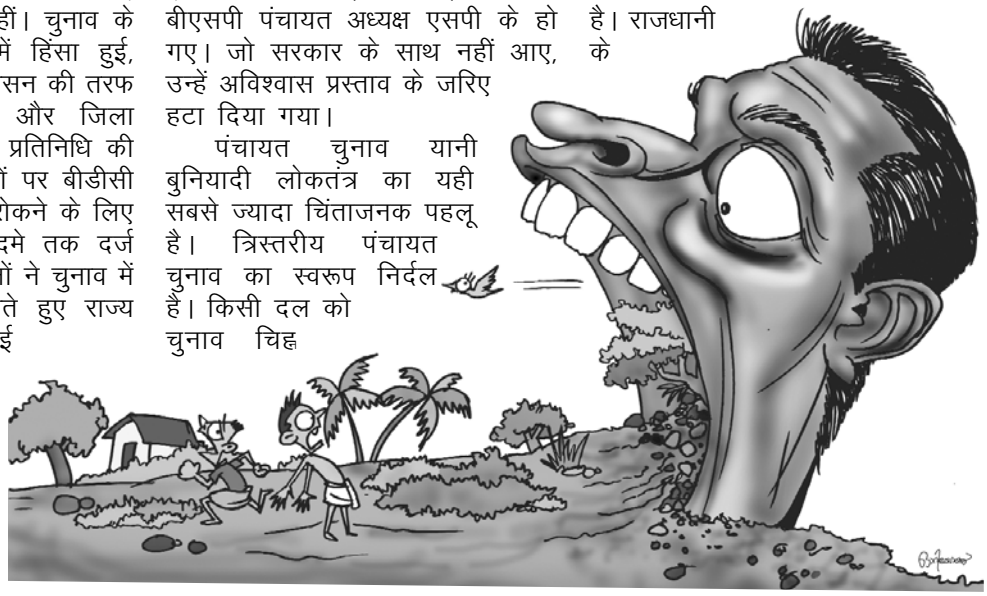

आठ ब्लॉकों में सिर्फ एक प्रमुख स्नातक है। फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष तो ठीक से अपनी शपथ भी नहीं पढ़ पाईं। यह जिम्मेदारी उनके बेटे ने पूरी की। इस स्थिति में शपथ की संवैधानिकता का सवाल भी उठा। वैसे यह बताने की जरूरत नहीं कि अधिकतर महिला प्रतिनिधियों का कार्यभार उनके पति या बेटे संभालते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे चिंतित करने वाला आयाम यह है कि जमीनी राजनीति से ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता बाहर हो गए हैं। यह सिलसिला जारी रहा तो लोकतंत्र के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है।

बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करो।

केंद्र, सपा सरकार के खिलाफ बसपा ने तय किये मुद्दे

सुरेश पांडेय

बसपा सुप्रीमो मायावती ने मिशन 2017 के आगाज के साथ ही सियासी एजेंडा भी तय कर दिया है। दलितों को लुभाने के लिये बसपा बड़ा दांव चलेगी तो मुसलमानों को मोदी–मुलायम गठजोड़ से बच के रहने को कहा जायेगा। प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसानों की दुर्दशा, बुंदेलखंड की बदहाली को अखिलेश सरकार के विरूद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जायेगा। एकला चलो की राह पर बसपा केन्द्र की सत्ता पर काबिज भाजपा को नंबर एक दुश्मन मानकर चलेगी तो प्रदेश में सत्तारूढ़ समा. जवादी पार्टी को नंबर दो पर रखा गया है। नंबर तीन पर कांग्रेस सहित अन्य वह छोटे–छोटे दल रहेंगे जिनका किसी विशेष क्षेत्र में दबदबा है। बसपा हर ऐसे मुद्दे को हवा देगी जिससे केन्द्र और प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया जा सके। विधानसभा के बजट सत्र और इससे पूर्व के सत्रों में बसपा नेताओं ने जिस तरह के तीखे तेवर दिखाये उससे यह बात समझने में किसी को संदेह नहीं बसपा सड़क से लेकर विधानसभा तक में अपने लिये राजनैतिक बढ़त तलाश रही है।

बसपा में छोटे–बड़े सभी नेता मिशन 2017 को पूरा करने के लिये जिस तरह से तेजी दिखा रहे हैं उससे भाजपा–सपा भी बेचैन दिख रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पराजय और 2014 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती अगर 2017 के विधानसभा चुनाव जीत कर सत्ता में वापसी का सपना देख रही हैं तो इसे मायावती का आत्मविश्वास या बड़बोला. पन दोनों ही कहा जा सकता है, लेकिन राजनैतिक पंडित इसे बसपा का आत्मविश्वास ही बता रहे हैं। 2012 और 2014 में बसपा को मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती की राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में आये बदलाव की बात करें तो दोनों ही मोर्चों पर बसपा सुप्रीमों काफी सजग नजर आती हैं। इसकी बानगी 15 जनवरी 2016 को देखने को मिली। मायावती ने इस बार अपना जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। इस बार हीरों के चमकते आभूषण बहनजी की शोभा भले ही नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन 2017 में सत्ता वापसी की आशा की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी।

विधानसभा चुनाव से एक वर्ष पूर्व बसपा को नंबर वन पर देखा जा रहा है तो इसका कारण उत्तर प्रदेश की केन्द्र की मोदी और यूपी की अखिलेश सरकार की नीतियां हैं। मोदी सरकार को दलित और मुस्लिम विरोधी साबित करने का प्रयास हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बनाने संबंधी भाजपा नेताओं के बयानों, हैदराबाद में दलित छात्र की आत्महत्या, बीते साल हरियाणा में दो दलितों की जलकर हुई मौत, दादरी हत्याकांड आदि तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसके सहारे मोदी सरकार को न केवल दलित बल्कि मुसलमान विरोधी भी साबित किया। इसकी बानगी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ कार्यक्रम के दौरान तब देखने को मिली, जब इस बात का खुलासा हुआ कि हैदराबाद की घटना को लेकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और मोदी वापस जाओ के नारे लगाने वाले छात्र बसपा प्रमुख मायावती के समर्थक थे। इस पूरे प्रकरण को बेहद योजना के साथ अंजाम दिया गया था। मायावती दलित वोटरों को यह बताने का कोई भी मौका नहीं खोती हैं कि आरएसएस व भाजपा के लोग दलितों को नुकसान पहुंचाने के लिये कभी भारतीय संविधान की तो कभी आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं।

मिशन 2017 फतह करने के लिये बसपा केन्द्र की भांति ही अखिलेश सरकार के खिलाफ भी जाति, धर्म और समुदाय से इतर कानून–व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को प्रमुख मुद्दा बन सकती है। बसपा का प्रमुख वोट बैंक रहे जाटव, दलित समूह और अन्य पिछड़ी जातियां, जिनका मायावती से मोहभंग हो गया था, यादवों के वर्चस्व से त्रस्त होकर एक बार फिर उनके पक्ष में एकजुट हो रही हैं। ब्राह्मणों की स्थिति भले उतनी खराब न हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बंदूक की नोक पर गुंडाराज करने वालों से वे भी आजिज आ चुके हैं। इसी प्रकार राज्य में बढ़ते कृषि संकट और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने में मायावती को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है। प्रदेश की सपा और केंद्र की भाजपा सरकार से त्रस्त किसान बसपा के शासन को याद करते हैं, जब न केवल चीनी मिलों से समय पर गन्ने का भुगतान हो जाता था, बल्कि कीमत भी वाजिब मिलती थी। सपा सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया जाना भी गन्ना किसानों को खटक रहा है।

बसपा नेता और प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या कहते हैं कि सपा राज में दलितों की जमीन सुरक्षित नहीं रह गई है। कानून बनाकर दलितों का हक छीनने का मार्ग अखिलेश सरकार ने प्रशस्त कर दिया है। इसी तरह मौर्या प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों कर्मचारियों की जिस मनमाने तरीके से पदावनति की जा रही है उससे भी खफा हैं। मौर्या के अनुसार प्रोन्नति में आरक्षण वापस लिये जाने से दलित समाज के आठ लाख से अधिक कर्मचारियों में उपेक्षा और पक्षपात का शिकार होने का भाव पैदा हो रहा है।

संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।

यह कैसा स्टार्ट अप

पहले एक बहुत ही 'अजीब' विचार। विचार यह कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, जो 20 साल से कम उम्र के 20 उद्यमियों को फेलोशिप देगी। इस फेलोशिप में उन्हें लाखों डालर दिए जाएंगे, ताकि वे अपना उद्योग शुरू कर सकें। लेकिन इस फेलोशिप को पाने की दो विचित्र शर्तें होंगी। पहली शर्त यह कि 20 साल से कम उम्र का यह भविष्य का उद्योगपति 'कॉलेज ड्रॉप आउट' हो। यानी कि पढ़ाई–लिखाई पूरी होने से पहले ही उससे मुक्ति पा ली हो। दूसरी शर्त यह कि उसके बिजनेस का आइडिया फाउंडेशन को ठीक लगा हो। क्या इस उल–जुलूल विचार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध स्टार्ट अप इंडिया से है?

16 जनवरी को 'स्टार्ट अप इंडिया' अभियान की शुरुआत करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत जोरदार और मजेदार बात कही, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली थी। पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा था कि जब मैं ओयो रूम के नौजवान को सुन रहा था, तब मैं सोच रहा था कि चाय बेचने वाले एक लड़के को होटलों की इस तरह चेन खोलने का विचार क्यों नहीं सूझा।

यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि इस ओयो रूम के नौजवान रितेश अग्रवाल वह पहले शख्स थे, जिन्होंने इस तथाकथित वाहियात विचार वाले फाउंडेशन की फेलोशिप हासिल की थी। फिर वहां से मिली रकम की बदौलत उन्होंने हिन्दुस्तान के स्टार्ट अप्स की सूची की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया।

इस तरह के फाउंडेशन का फितूर जिस आदमी के दिमाग में उपजा था, उसका नाम था पीटर थिएल। सन 2010 में स्थापित यह फाउंडेशन पहले 'ट्वेन्टी अंडर ट्वेन्टी' के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज इसका नाम है थिएल फाउंडेशन। यह फाउंडेशन वैज्ञानिक शोध, स्टार्ट अप तथा सामाजिक कार्यों के लिए फेलोशिप देती है। लेकिन गजब का भरोसा यह कि आपको स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट होना चाहिए। यहां गौर करने की बात यह है कि आज के समय के तीन विख्यात व्यक्ति – बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग यदि इसके लिए आवेदन करते, तो तीनों इसे क्वालीफाई कर सकते थे।

तो क्या हम यह मान लें कि किसी भी क्षेत्र में कुछ नया सोचने और नया करने का काम एक ऐसा कोरा मस्तिष्क ही कर सकता है, जिस पर किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा के आखर उकेरे न गए हों? ऐसा मानना गलत नहीं होगा, और इसके लिए इतिहास आपका साथ देने में सक्षम है। न्यूटन, एडीसन, डार्विन और यहां तक कि आइंस्टीन भी औपचारिक शिक्षा के मामले में फिसड्डी ही थे। सम्राट अकबर जैसे दूरदर्शी प्रशासक, कबीर जैसे संत तथा महात्मा गांधी जैसे विचारक के बारे में हम सब जानते ही हैं।

दरसअल 'नयापन', जो 'स्टार्ट अप इंडिया' की नींव है, उसके लिए ज्ञान की नहीं, एक अन्तर्दृष्टि की जरूरत होती है। इस अन्तर्दृष्टि का संबंध मस्तिष्क से न होकर भावना एवं अवचेतन तथा अचेतन मन से होता है। मन के इसी स्तर को भारतीय दर्शन अपनी तरह से आत्मा कहता है, अध्यात्म कहता है। इस स्तर पर विचार पलते–बढ़ते नहीं हैं, बल्कि कौंधते हैं। जब एक बार यह कौंध पकड़ में आ जाती है, तो वही बढ़कर नवीन बन जाता है।

इस लिहाज से स्टार्ट अप इंडिया के बारे में कहा जा सकता है कि इसके लिए भारत की चेतना की जमीन सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है, क्योंकि यह देश मूलतः एक आध्यात्मिक देश है तथा यदि इस अभियान को बहुआयामी (मल्टी डायमेंशनल) तरीके से अपनाया गया, तो यह भारत को फिर से 'विश्व–गुरु' के पद के निकट ले जाने में सहायक हो सकता है। इस रूप में यह अभियान आर्थिक से कहीं अधिक बौद्धिक भूमिका निभाने वाला सिद्ध होगा।

(साभार : एनडीटीवी के ब्लाग से)

स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा सम्बन्ध है।

क्षुद्र राजनीति

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से निलंबित किए गए दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या एक गंभीर मामला है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि विभिन्न राजनीतिक दल एक संवेदनशील मसले को राजनीतिक रोटियां सेंकने का जरिया बना लें। दुर्भाग्य से फिलहाल यही हो रहा है। कई राजनीतिक दल रोहित की आत्महत्या को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे यह इस तरह का पहला मामला हो और उसकी आत्महत्या के लिए केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। चूंकि उन्होंने विश्वविद्यालय की कुछ घटनाओं को राष्ट्रविरोधी गतिविधियां बताते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखा था और फिर विश्वविद्यालय की एक जांच समिति ने रोहित समेत पांच छात्रों को निलंबित करने का फैसला किया था इसलिए यह सवाल उठेगा ही कि आखिर केंद्रीय श्रममंत्री को चिट्ठी–पत्री करने की क्या जरूरत थी? इस सवाल के बावजूद बिना किसी जांच के इस नतीजे पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं कि रोहित की आत्महत्या के लिए बंडारू दत्तात्रेय ही जिम्मेदार हैं। अरुचिकर केवल यह नहीं है कि रो. हित के दलित होने और उसकी आत्महत्या का मामला सामने आते ही कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करने में जुट गए, बल्कि यह भी है कि पुरस्कार वापसी को हवा देने वाले एक लेखक ने हैदराबाद विश्वविद्यालय को अपनी डीलिट की उपाधि लौटाने की घोषणा कर दी। लगता है कि उन्हें एक दलित छात्र की आत्महत्या की खबर का ही इंतजार था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे लोग प्रचार पाने का माध्यम बना लें। 1 दलित छात्र की आत्महत्या के मामले को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। इसलिए और भी, क्योंकि इस छात्र ने अपनी आत्महत्या के पूर्व जो पत्र लिखा उसमें अपने निलंबन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दार्शनिक भाव से लिखा गया यह पत्र तो यही प्रकट करता है कि वह विरक्ति का भी शिकार था और उसे अपने जीने का कोई उद्देश्य नहीं नजर आ रहा था। चूंकि उसके इस पत्र के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है इसलिए इसकी गहन जांच होनी ही चाहिए कि उसने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की और क्या इन परिस्थितियों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी है? इस जांच के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कारण है कि उच्च शिक्षा के केंद्रों में दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को अन्य छात्रों के मुकाबले कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इन परेशानियों के चलते इन वर्गो के छात्र या तो पढ़ाई छोड़ने पर विवश होते हैं या फिर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। पिछले कुछ वर्षो में हैदराबाद विश्वविद्यालय में ही दलित–पिछड़े वर्ग के कम से कम आठ छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा केंद्रों के सामाजिक माहौल को सुधारने की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि आखिर विश्वविद्यालयों को राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र क्यों बनने दिया जाए? रोहित और उसके साथी जिस छात्र समूह का हिस्सा थे उसने आतंकी याकूब मेनन की फांसी का खुलकर विरोध किया था। यह बात एक दूसरे समूह को पसंद नहीं आई और उनमें तकरार हुई। इस तरह की तकरार अन्य विश्वविद्यालयों में भी होती रहती है। यह सही समय है जब इस पर विचार किया जाए कि शिक्षा के केंद्रों को राजनीति का अखाड़ा बनने देना कहां तक उचित है।(साभार : इंटरनेट)

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- **वृद्ध आश्रम की स्थापना करना ।**
- **लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन ।**
- **लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना ।**
- **गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना ।**
- **अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना ।**
- **लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना ।**
- **पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना ।**
- **धार्मिक जागरुकता फैलाना ।**

Lok Jagriti

लोक जागृति

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
मोबाइल : 9810960818, 0120–4249595 ई मेल : lokjagriti@gmail.com, www.lokjagriti.com

चुनावों के दुष्चक्र में फंस गया देश

देश में बराबर होने वाले चुनावों के मुद्दे पर विचार करने वाली संसद की एक समिति हाल में एक ऐसे नतीजे पर पहुंची है जो चुनावों के दुष्चक्र को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका हो सकता है। इन चुनावों में सरकार का भारी–भरकम खर्च तो होता ही है, विधिवत निर्वाचित सरकार अस्थिर बनती है और सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव 1952, 1957, 1962 और 1967 में साथ–साथ हुए। सभी नवनिर्वाचित विधायिकाएं इन वर्षो में मार्च और अप्रैल के बीच गठित हुईं। पहले के तीन चुनावों में यह एक तरह से एकदलीय शासन था। कांग्रेस को लगभग सभी जगह वोटरों ने मत दिए। लेकिन 1967 में मतदाताओं ने कुछ राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और अस्थिर गठबंधनों के पक्ष में मतदान किया। 1961 के दशक के आखिरी वर्षो में इनमें से कुछ सरकारें समय से पहले गिर गईं और इस तरह लोकसभा और विधानसभाओं के साथ–साथ चुनावों की व्यवस्था कुछ हद तक अव्यवस्थित हो गई। लेकिन असली क्षति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहुंचाई, जिन्होंने चौथी लोकसभा के विघटन की सिफारिश की और समय से एक साल पहले 1971 में चुनाव हुए। तब से साथ–साथ चुनावों की व्यवस्था समाप्त हो गई है और समय बीतने के साथ देश चुनावों के दुष्चक्र में फंस गया है, जिसने शासन के कामकाज को भारी क्षति पहुंचाई है। हर साल अलग–अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। चुनावी अखाड़ें में काले धन का काफी उपयोग किया जाता है और हर राज्य में जनादेश के अर्थ पर गंभीर राजनीतिक बहस होती रहती है। उदाहरण के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की किसी राज्य में हार होती है तो अन्य सभी पार्टियां उस नतीजे को सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के खिलाफ जनादेश के तौर पर देखती हैं। पिछले नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार इसका नवीनतम उदाहरण है। इसी तरह केंद्र में सत्तासीन पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव जीतती है तो यह घोषणा करने में देर नहीं की जाती कि यह विजय इस पार्टी और इसके नेता पर मतदाताओं के भरोसे को दिखाती है। अक्टूबर, 2014 में हरियाणा, महाराष्ट्र झारखंड में भाजपा की जीत के बाद ऐसे ही स्वर सुनाई दिए।1कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सच्चाई यह है कि दोनों ही विचार असत्य हैं। हमने बार–बार देखा है कि मतदाताओं ने राज्य के चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव से साफ तौर पर दूर रखा है। फिर भी, कोई भी पार्टी एक जनादेश का दूसरे से घालमेल करने का अवसर नहीं छोड़ती। यही बात उस समय भी सही साबित होती है जब राज्य में सत्तासीन पार्टी की लोकसभा चुनाव में पराजय होती है। जैसे, 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन इन सबसे चुनाव के बाद छिड़ने वाले राजनीतिक संघर्ष के चलते उन पार्टियों का भरोसा डोल जाता है जिन्हें केंद्र और राज्यों में पांच साल शासन के लिए चुना गया होता है। दोनों ही स्तरों पर सत्ताधारी पार्टियों और गठबंधनों में अनावश्यक अस्थायित्व आ जाता है। राजनीतिक अस्थायित्व के अलावा चुनावों का यह चक्र शासन पर असर डालता है और कुछ दूसरी समस्याएं भी पैदा करता है। कार्मिक, सार्वजनिक सेवाएं, विधि और न्याय विभाग से संबद्ध संसद की स्थायी समिति ने इन सभी बातों की जांच कर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने की व्यावहारिकता पर अपनी रिपोर्ट दी है, जिसे संसद में दिसंबर में रखा गया। शासन के कामकाज के मोर्चे पर संसदीय समिति ने कहा कि जब भी चुनावों की घोषणा होती है, चुनावी आदर्श संहिता संबद्ध राज्य में लागू हो जाती है और इससे केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के विकास कार्य रुक जाते हैं। इसलिए अगर हर साल कई राज्यों में चुनाव होने हों तो आचार संहिता लागू रहने के दौरान एक चौथाई समय में शासन के कामकाज बाधित रहते हैं। इसलिए समिति ने सही ही कहा है कि 'इससे नीतियां निर्बल हो जाती हैं और शासन का कामकाज कमजोर हो जाता है।' समिति का यह भी विचार है कि बार–बार होने वाले चुनाव आम जनजीवन और आवश्यक सेवाओं के कामकाज को बाधित करते हैं। उसने कहा है कि अगर साथ–साथ चुनाव हों तो बाधा की यह अवधि पहले से निर्धारित समय तक सीमित होगी।' तीसरा मुद्दा चुनावी खर्च से संबद्ध है। अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ–साथ हों तो ये हर साल अलग–अलग चुनाव कराने में होने वाले भारी–भरकम खर्च को काफी कम कर देंगे।

समिति का कहना है कि जब चुनाव एक साथ नहीं होते हैं तो चुनावी कामकाज पर लंबी अवधि तक काफी सारे लोगों को तैनात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जब लोकसभा चुनाव चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ कराए गए तो मतदान नौ चरणों में हुए, केंद्रीय और राज्य सेवाओं से चुनावी कामकाज के लिए गए भारी–भरकम संख्या में अधिकारियों के अलावा केंद्रीय बलों की इधर से उधर जाने वाली 1349 कंपनियों की तैनाती की गई। बार–बार होने वाले चुनावों के प्रशासन, सरकार पर बुरे प्रभाव, चुनाव कराने में खर्च, राजनीतिक दलों द्वारा भारी–भरकम चुनाव खर्च, काले धन का उपयोग और आम जनजीवन में होने वाली बाधा पर काफी बहस होती रही है। लेकिन कोई भी अब तक उस कामकाजी समाधान तक नहीं पहुंचा है जो चीजों के संवैधानिक ढांचे को भी पूरा करता है। ऐसा लगता था कि एक–दूसरे की विरोधी स्थिति को एक ढर्रे पर लाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस संसदीय समिति के पास समस्या का समाधान लगता है। समिति ने सलाह दी है कि शुरुआत में राज्यों के दो समूह बना दिए जाएं–एक समूह वह हो जहां चुनाव नवंबर, 2016 में हों और दूसरा समूह वह हो

जैसा आप सोचते हैं , वैसा आप बन जायेंगे।

जहां अगले लोकसभा चुनाव के साथ मई–जून, 2019 में चुनाव हों।1इस तरह पांच साल की अवधि में देश में चुनाव के सिर्फ दो राउंड होंगे। इसे हासिल करने के लिए वर्तमान विधानसभाओं के कार्यकाल कुछ महीने या तो कम करने होंगे या बढ़ाने होंगे। जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को लोकसभा या किसी विधानसभा के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से छह माह पहले चुनाव कराने का अधिकार है। यह पहला ठोस विचार है जो बारंबार चुनाव को कम करने और चुनावी दुष्चक्र से जनता और प्रशासन को बचाने के लिए उभरा है। अगर राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया विकास और शासन में बाधा नहीं बने, तो उन्हें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

(लेखक प्रसार भारती के प्रमुख हैं)

पुलिस का डंडा राज

अपने को हाईटेक कहने वाली दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर मध्यकालीन क्रूरता दिखाई है। झंडेवालान स्थित आरएसएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ उसने जो व्यवहार किया, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह एक जनतांत्रिक देश की पुलिस है। हालांकि यह वाकई एक रहस्य है कि पूरा वाकया उसी दिन यानी 30 जनवरी को ही राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में क्यों नहीं आया। गनीमत है कि सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की घिनौनी कार्रवाई का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पुलिस वाले छात्रों को जानवरों की तरह मारते–पीटते और महिला प्रदर्शनकारियों को उनके बाल पकड़कर घसीटते दिख रहे हैं। कुछ पत्रकारों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन कवर करने के दौरान पुलिस ने उन्हें भी पीटा। उनका कहना है कि पुलिस ने 'बिना किसी उकसावे' के कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को इस तरह मारा पीटा, जैसे उनकी जान ही ले लेंगे। वीडियो में पुलिस के अलावा कुछ और लोग भी प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकना तो दूर, उलटे पुलिस के साथ उनकी सांठगांठ नजर आ रही है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त बी एस बस्सी ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जांच का निर्देश दिया है और यह देखने के लिए कहा है कि क्या किसी तरह की 'विवेकहीनता' हुई है। लेकिन मान लीजिए, वह वीडियो नहीं लिया जाता और तो अगर वह सोशल मीडिया के जरिये सार्वजनिक नहीं हुआ होता तो यह सचमुच हास्यास्पद है कि ऐसी बर्बरता को पुलिस 'हल्का बल प्रयोग' बता रही है। कार्रवाई में बाहरी तत्वों की मौजूदगी को लेकर उसने जुबान भी नहीं खोली है। छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए महिला पुलिस क्यों नहीं मौजूद थी, इस बारे में भी उसने कुछ नहीं कहा है।

जब–जब दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के तहत लाने की बात चलती है, तब–तब यह दलील दी जाती है कि उसका चरित्र बाकी राज्यों की पुलिस से अलग है। राजनीतिक प्रदर्शनों से निपटने में उसकी महारत बताई जाती है। लेकिन 30 जनवरी की घटना में कहीं से लगा ही नहीं कि वह इंसान को इंसान मानती है। ऐसा होता तो वह प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने और उन्हें तितर–बितर करने के दूसरे तरीके अपना सकती थी। यह कहना दुखद है कि संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में उसकी भूमिका सत्ता के लठैत की तरह हर असहमत आवाज को कुचल देने वाली ही नजर आ रही है। औपनिवेशिक शासन में पुलिस की यही भूमिका होती थी, लेकिन जनतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का हाल कुछ तो बेहतर होना चाहिए। झंडेवालान की घटना इतनी भयानक है कि इसमें दोषियों की पहचान करने और उन्हें सजा देने का काम दिल्ली पुलिस के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता।

केंद्र सरकार अगर इस मुद्दे को लेकर गंभीर है तो उसे सीधे दखल देना चाहिए और असभ्य पुलिसकर्मियों को सजा देकर देश–दुनिया में भारतीय पुलिस की छवि सुधारनी चाहिए। **(साभार : इंटरनेट)**

भारतीय लोकतंत्र एवं भ्रष्टाचार

लोकतंत्र एवं भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लो. कतंत्र में सत्ता तक पहुंचने के लिए बिना झूठ बोले कुछ अपवाद को छोड़ पहुंच पाना सम्भव नहीं है। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए सर्वप्रथम झूठ का सहारा लिया जाता है जिसको हम सब जानते हैं। क्या चुनाव आयोग में जो शपथ दिया जाता है वह अक्षरशः सही होता है? क्या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्चों के हिसाब से चुनाव में खर्च किया जाता है। क्या चुनाव में काले धन का प्रयोग नहीं होता है? और यह सब यदि होता है तो आगे भी बहुत कुछ होता होगा इसीलिए यह कहा जाता है लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की भरमार है।

यह मत भूलिए कि जिन लोगों ने संसार में उन्नति की है उन्होंने समय को समझा।

न सम न विषम सभी समस्या स्वतः समाप्त

ऐसा हो जाए की हमारे देश में सम विषम दोनों तरह की गाड़ियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए तो बहुत सारी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। सड़कें खाली होगी प्रदूषण का कोई नामो निशान नहीं होगा। फ्लाईओवर बनाने की जरुरत नहीं सड़क बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों से बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। सीमेंट उद्योग प्रदूषण भारी मात्रा में फैलाता है, सड़कों को चौड़ा करने में बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, खर्च भी काफी आता है। टोल टैक्स वसूली पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं इससे प्रदूषण होता है। गाड़ियां बनाते समय भी प्रदूषण होता, टायर बनाते समय भी प्रदूषण होता है। इत्यादि इसलिए सम विषम दो पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। श्रीमती शीला दीक्षित जी को यदि केजरीवाल पहले ही सम विषम की सलाह दे देते तो दिल्ली का करोड़ों रुपए बच जाता। इतने फ्लाईओवर बनाने सड़क को चौड़ा करने सीएनजी की जरुरत ही नहीं होती और दिल्ली की बल्ले हो जाती। शीला जी ने दिल्ली का करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद किया।

■ दयानंद शुक्ला

कविता

ये इतने लोग कहाँ जाते हैं सुबह–सुबह?
ढेर सी चमक–चहक चेहरे पे लटकाए हुए
हंसी को बेचकर बेमोल वक़्त के हाथों
शाम तक उन ही थकानो में लौटने के लिए
ये इतने लोग कहाँ जाते हैं सुबह–सुबह?
ये इतने पाँव सड़क को सलाम करते हैं
हरारतों को अपनी बकाया नींद पिला
उसी उदास और पीली सी रौशनी में लिपट
रात तक उन ही मकानों में लौटने के लिए
ये इतने लोग कहाँ जाते हैं सुबह–सुबह?
शाम तक उन ही थकानों में लौटने के लिए!
ये इतने लोग, कि जिनमे कभी मैं शामिल था
ये सारे लोग जो सिमटे तो शहर बनता है
शहर का दरिया क्यों सुबह से फूट पड़ता है
रात की सर्द चट्टानों में लौटने के लिए
ये इतने लोग कहाँ जाते हैं सुबह–सुबह?
शाम तक उन ही थकानों में लौटने के लिए!
ये इतने लोग क्या इनमें वो लोग शामिल हैं
जो कभी मेरी तरह प्यार जी गए होंगे?
या इनमें कोई नहीं जिन्दा सिर्फ़ लाशें हैं
ये भी क्या जिन्दगी का जहर पी गए होंगे?
ये सारे लोग निकलते हैं घर से, इन सबको
इतना मालूम है, जाना है, लौट आना है
ये सारे लोग भले लगते हों मशीनों से
मगर इन जिन्दा मशीनों का इक ठिकाना है
मुझे तो इतना भी मालूम नहीं जाना है कहाँ?
मैंने पूछा नहीं था, तूने बताया था कहाँ?
खुद में सिमटा हुआ, ठिठका सा खड़ा हूँ ऐसे
मुझपे हँसता है मेरा वक़्त, तेरे दोनों जहाँ
जो तेरे इश्क में सीखे हैं रतजगे मैंने
उन्हीं की गूँज पूरी रात आती रहती है
सुबह जब जगता है अम्बर तो रौशनी की परी
मेरी पलकों पे अंगारे बिछाती रहती है।

दिल्ली की दुर्दशा

हमारे देश के संविधान में प्रजातंत्र को मजबूती से संचालन एवं सफल बनाने के लिए चार स्तम्भ बताए गए हैं और ये चारा. स्तम्भ दिल्ली में ही हैं इसके बावजूद दिल्ली की यह दुर्दशा है, यहां पर पूरे भारत वर्ष एवं कल्पना लोक के दर्शन हो जाएंगे। यह पर पांच सितारा होटलों में अप्सराओं के नृत्य से लेकर सुरा पान भरपूर व्यवस्था है वही बुन्देल खंड से भी बुरी हालात में लोग भी मिल जाएंगे। यहां पर लोग 16 रुपए से 16000 करोड़ तक व्यापार करने का नुस्खा भी यहां सीख सकते हैं।

यहां पर हजारों अवैध कालोनियां चारों स्तम्भों के नाक के नीचे बन गई सभी22 कुंभकरण से भी गहरी नींद में सोये हुए थे। सभी को सिर्फ मैनेज किया गया। दिल्ली की ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी में कितने घोटाले हुए इसका हिसाब लगाना कठिन है। दिल्ली विकास प्राधिकरण विश्व का सबसे भ्रष्ट विभाग है। जब तक आप कोई चीज स्वयं नहीं देखते तब तक उसके बारे में आपके विचार या आशाएं नहीं होती इसी के तहत दिल्ली में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां न तो ठीक से पार्क हैं न पेड़ जनसंख्या घनत्व का कोई पैमाना ही नहीं, कुछ गलियां ऐसी है जहां पर अग्निशमन यंत्र एवं एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती है। दिल्ली को अक्षयपात बनाकर माल बनाया जा रहा है।

बेहाल सड़कें

गांवों एवं देश की सभी जगहों ऐसा बुरा हाल है कि उस पर स्वस्थ आदमी को गाड़ी से चले तो वह बीमार हो जाएगा और यदि बीमार आदमी चले तो मौत हो जाती है और शहरों में रोड सही है तो जाम में फंस कर मौत हो जाती है। गांव में यदि किसी का हर्ट अटैक हो जाए तो अस्पताल जाते जाते ही मौत हो जाती है। हालत यह है कि गर्भवती स्त्री को बभनान से गोण्डा सही सलामत अस्पताल पहुंचना संभव नहीं है जबकि यहां से चार मंत्री थे और यहां सामा. जिक असमानता ज्यादा है। चुनावों में बाहुबल धनबल का काफी प्रयोग होता है।

शहीद की मां

पारुल पंखुड़ी

जल्दी वापस घर आ जाओ
याद बहुत ही आती है
कहाँ गए हो लाल मेरे तुम
माँ आवाज लगाती है
मेरी ममता अब भी दर पे
आस लगाए रहती है
आएगा तू इक दिन वापस
पल पल मुझसे कहती है
दरवाजे पर होती दस्तक
इक उम्मीद जगाती है
तुझे न पाकर लाल वहां पर
आस टूट फिर जाती है
कहाँ गए हो लाल।
अब भी रोटी चूल्हे पर मैं
तेरे लिए बनाती हूँ
तेरी थाली रख पहले जल
लोटा भर ले आती हूँ
तेरी बीवी रो रोकर फिर
मेरा भरम मिटाती है
आँसू पीकर सारे अपने
माँ तेरी सो जाती है
कहाँ गए हो लाल।
परमवीर तमगे को तेरे
रोज सजाकर रखती हूँ
खाली होते दाल केश डब्बे
आँसू भर कर तकती हूँ
रूई के फाहे को मक्खन
बता बता भरमाती है
बिट्टू की माँ रोज इस तरह
रोटी उसे खिलाती है
कहाँ गए हो लाल।
तेरी बीवी का माथा अब
सूना सूना रहता है
उसकी चुप्पी से सन्नाटा
घर में पसरा रहता है
न करती श्रृंगार है कोई
गीत न कोई गाती है
सबसे छुपकर तन्हाई में
आँसू रोज बहाती है
कहाँ गए हो लाल।
तेरे बेटे का मुख अब
मुरझाया सा रहता है
रोते रोते आकर मुझसे
रोज रोज ये कहता है
दादी कब आएंगे पापा
उनकी याद सताती है
उसकी भोली बातें सुनकर
चुप्पी मुझ पे छाती है
कहाँ गए हो लाल।
मेरे वीर सपूत की जान
लिपट तिरंगे में आई
भारत माँ ने चुना तुझे मैं
शहीद की माँ कहलायी
आँखें नीर बहाती अब तक
ममता मुझे रुलाती है
रात रात भर लोरी गाती
गोदी तुझे बुलाती है
कहाँ गए हो लाल।

भारतीय संविधान का राष्ट्रचिन्ह

धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद (धारा) जिसके द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को सम्पूर्ण भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अथवा (विशेष दर्जा) प्राप्त है। देश को आजादी मिलने के बाद से लेकर अब तक यह धारा भारतीय राजनीति में बहुत विवादित रही है। भारतीय जनता पार्टी एवं कई राष्ट्रवादी दल इसे जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त अलगाववाद के लिए जिम्मेदार मानते हैं तथा इसे समाप्त करने की मांग करते रहे हैं। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरु के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत के लिए कश्मीर का मुद्दा आज तक समस्या बना है।

विशेष अधिकार

धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र का राज्य सरकार को अनुमोदन चाहिए।

इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू–कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।

1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता।

इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती।

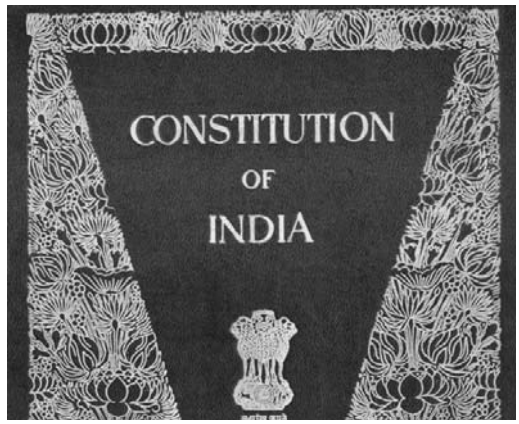

जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज्यादा बड़ी जरुरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए थे। ये विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिए जा रहे हैं।

विशेष अधिकारों की सूची

1–जम्मू–कश्मीर के नागरिकों के पास दो. हरी नागरिकता होती है।

2–जम्मू–कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है।

3–जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

4–जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकोप का अपमान अपराध नहीं होता है।

5–भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते है।

6–भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के सम्बंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है।

7–जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल सकती है।

8–धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई लागू नहीं है, आरटीआई तथा सीएजी लागू नहीं है। संक्षेप में कहें तो भारत का कोई भी कानून वहां लागू नहीं होता।

9–कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू हैं।

10–कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं हैं।

11–कश्मीर में चपरासी 2500 रुपए में ही मिलते हैं।

12–कश्मीर में अल्पसंख्यकों (हिन्दू सिख) 16 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलता।

13–धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं।

14–धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है।

15– धारा 370 अपने भारत के संविधान का अंग है।

16– यह धारा संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है जिसका शीर्षक अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान।

भारत के संविधान में उच्च न्यायालय

संतोष मिश्रा

संविधान के अंतर्गतप्रत्येक राज्य की अपनी न्यायपालिका है जो केन्द्र और राज्य दोनों की विधियों को प्रशासित करती है । राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है जो राज्य में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अपील और पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे अधीनस्थ न्यायपालिका के ऊपर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही प्रकार की विस्तृत शक्तियॉ प्राप्त हैं। भारत के वर्तमान संविधान में उच्च न्यायालयों के विषय में बहुत से प्रावधान हैं, उच्च न्यायालय का एक सामान्य परिचय यहां दिया जा रहा है।

संविधान ने सभी विद्यमान उच्च न्यायालयों को पुनर्गठित किया। इसने प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। संसद को दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति दी गयी है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा यह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। यह किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के प्रशासनिक अधीक्षण में नहीं है, हालांकि इसके निर्णयों की अपीलें उच्चतम न्यायालय में की जा सकती हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के प्रशासनिक कार्य का प्रभारी होता है तथा वह अपने साथी न्यायाधीशों में न्यायिक कार्य का वितरण करता है। उसके अपने न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उसकी सलाह भी ली जाती है। किन्तु न्यायालय में न्यायिक कार्य के सम्पादन में उसका स्तर किसी अन्य न्यायाधीश से ऊँचा नहीं होता है तथा विशेष अपील में किन्हीं अन्य दो न्यायाधीशों द्वारा उसके निर्णय को उलटा जा सकता है। साथ ही यदि वह तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ में विद्यमान हो तो उसके शेष दोनों साथियों द्वारा बहुमत से उसके निर्णय के विरूद्ध व्यवस्था दी जा सकती है। उसका किसी अन्य न्यायाधीश पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है तथा उसकी स्थिति को 'समानों में प्रथम' (Primus inter pares) कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्ति को अनिवार्यतः भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे किसी न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए या कम से कम दस वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए। इस प्रावधान की तुलना पूर्व में भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रतिपादित योग्यताओं से करने पर कई परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। न्यायिक सेवा के किसी व्यक्ति के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गयी है। एक सिविल सेवक अब उच्च न्यायालय में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसने दस वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो जबकि इससे पहले तीन वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाला कोई सिविल सेवक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने का पात्र हो जाता था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह–मशविरे के बाद की जाती है।

उच्च न्यायालयों की सत्यनिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए तथा उन्हें कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए संविधान में बहुत से प्रावधान किये गये हैं ताकि वे अपने न्यायिक कार्यों का संपादन भय और पक्षपात से रहित होकर कर सकें। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है तथा वे 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं। इससे पहले उन्हें केवल उस स्थिति में हटाया जा सकता है जब संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव उनके साबित कदाचरण या अक्षमता के आधार पर पारित करें। यह प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल संबंधी वही सुरक्षा देता है जो इंगलैंड के न्यायाधीशों को प्राप्त है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित कर सकता है। न्यायाधीशों के वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित हैं और इस कारण वश संविधान–संशोधन के बिना नहीं बदले जा सकते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भत्तों, अवकाश तथा पेंशन में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए लाए गये पूर्ववर्णित प्रस्ताव की सुनवायी के अलावा और किसी स्थिति में किसी केंद्रीय या राज्य की विधायिका में उसके कार्य निष्पादन संबंधी आचरण के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है। यह प्रतिबंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानीय राजनीतिक दबावों से सुरक्षित करता है। उच्च न्यायालय के व्यय, उस राज्य की समेकित निधि पर भारित होते हैं। भारत के संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, उनमें प्रशासित विधि और न्यायालय के नियम बनाने की उनकी शक्तियों को उसी रूप में जारी रखा गया है जैसी वे संविधान के लागू होने के ठीक पहले थीं। उच्च न्यायालय की यह अधिकारिता और शक्ति भारतीय संविधान के तथा उपयुक्त विधायिका द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अधीन है।

सुविचार

बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते है लेकिन बाज बादलों के ऊपर उडकर बारिश को ही अवॉयड कर देते है।

समस्याए कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है।

अब्दुल कलाम

दिल्ली में दिसंबर 2017 तक हर घर को पानी मिलेगा : केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने आज रविवार को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर को पाइप लाइन से पानी मिलेगा। इसके लिए जल बोर्ड को विशेष बजट दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिना रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश...

■ नल में आरओ की तरह साफ पानी मिलेगा
■ ऐप के जरिए जल के मीटर की रीडिंग होगी
■ 30 नवंबर तक पानी के सभी बिल माफ
■ लोगों से पानी के कनेक्शन लेने की अपील
■ दिल्ली जल बोर्ड को 176 करोड़ का मुनाफा
■ दिल्ली में बिजली का उत्पादन कम हुआ है
■ CAG रिपोर्ट के बाद बिजली के बिलों में कमी
■ 8 हजार सरकारी स्कूलों में नए कमरे बनेंगे
■ नए स्कूलों की शुरुआत आगामी शिक्षा सत्र से होगी
■ सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तरह सुविधा मिलेगी
■ प्रायवेट स्कूलों को गरीब बच्चों को एडमिशन देना होगा
■ प्रायवेट स्कूलों में गरीब छात्रों के प्रवेश की सारी प्रक्रिया ऑन लाइन
■ निजी अस्पतालों में इलाज महंगा, इसलिए सरकारी अस्पताल का बजट दोगुना किया
■ 1 फरवरी से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मिलनी शुरु
■ सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी
■ सरकारी अस्पताल में किसी को कोई पैसा नहीं लगेगा।(सं.)

आपको अपने भीतर से ही विकास करना होता है। कोई आपको सीखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता आपको सिखाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा ही है।

स्वामी विवेकानंद

आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, असफलता नामक बिमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है।

अब्दुल कलाम

विपरीत परस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं।

शिव खेड़ा

सरकारी 'घास' : कैद में बकरी और चरने वाले आजाद

छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ चुनावों में भाजपा के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता जोगी की आपराधिक मिलीभगत के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी न करने वाली पुलिस ने बकरी को जज के सरक. ारी बंगले की घास खाने के जुर्म में गिरफ्तार करके कार्यकुशलता की नई मिसाल पेश की है। कोरिया जिले के जनकपुर इलाके में आईपीसी की धारा 427 एवं 447 के तहत गिरफ्तार अब्दुल हसन उर्फ 'गणपत' को सोशल मीडिया में व्यापक अपील के बाद रिहा तो कर दिया गया पर यह खबर अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बनकर भारत के कानूनों के लिए एक मजाक सा बन गई।

आजादी के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा अंतिम व्यक्ति की खुशहाली की परिकल्पना के पीछे गांधीजी के आदर्शों का बड़ा प्रभाव था। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के नाम पर पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न आम है जो अब खबर भी नहीं बनती। दिल्ली या महानगरों में हुए अपराध की घटना जब मीडिया की सनसनी बनती है तब शहरी समाज द्वारा सख्त कानूनों यथा– बलात्कारियों को बधिया करना, जुवेनाइल को वयस्क अपराधी की तरह ट्रीट करना तथा चेन स्नेचिंग के दोषियों के विरुद्ध रासुका लगाने की मांग उठती है। बकरी मामले से यह स्पष्ट है कि सख्त कानूनों की गाज कमजोर और गरीब लोगों पर पड़ती है और रसूखदार लोग कानून की धाराओं से बच ही जाते हैं। बंगाल में ममता सरकार द्वारा मर्डर के अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय फेसबुक पोस्ट लिखने वाले युवा की गिरफ्तारी पुलिस की निरंकुशता तथा कानून की ऐसी ही मनमाफिक व्याख्या को जताती है।

आंकड़ों के अनुसार देश के संसाधनों की लूट नेता, व्यापारी एवं अफसरों के गठजोड़ द्वारा की जा रही है जो कुल आबादी का एक प्रतिशत से भी कम है। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला, मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाला, महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला, दिल्ली में कॉमनवैल्थ घोटाला, केरल में सोलर एनर्जी घोटाला, राजस्थान में भूमि घोटाला, डीडीसीए तथा क्रिकेट घोटाले के दोषी लोग सत्ता प्रतिष्ठान या विपक्ष में रहकर सरकार का पूरा दोहन कर रहे हैं पर उनके विरूद्ध कोई एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं होती। बुन्देलखण्ड तथा विदर्भ में कुछ हजार रुपये के लोन न चुकाने पर कुर्की से पीड़ित किसान आत्महत्या के लिए विवश हैं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिजर्व बैंक द्वारा पांच लाख करोड़ से अधिक बैंकों के कर्जदार उद्योगपतियों के नाम भी उजागर नहीं किये जाते हैं। दूसरी तरफ देश की जेलों में तीन लाख से अधिक कैदी हैं जिनमें 90 फीसदी से अधिक गरीब और अशिक्षित हैं।(साभार : एनडीटीवी)

दुनिया ने देखी हमारी ताकत

राजपथ पर मंगलवार को 67वीं रिपब्लिक डे सेरेमनी हुई। फ्रांस की फौज इस सेरेमनी में हिस्सा लेने वाली पहली फॉरेन आर्मी बनी। परेड में शामिल फ्रेंच रेजीमेंट का भारत में 1784 में टीपू सुल्तान के सपोर्ट में जंग लड़ने का इतिहास रहा है। राजपथ पर 26 साल बाद आर्मी डॉग स्क्वॉड भी नजर आया। 11 दिन में 10 आतंकियों को मारकर शहीद हुए लान्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र दिया गया। उनकी पत्नी ने प्रेसिडेंट के हाथों यह सम्मान लिया।

अंग्रेजों से हार गई थी 12 हजार जवानों की फ्रेंच आर्मी

■ 1950 से राजपथ पर परेड हो रही है। लेकिन 66 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार यहां फॉरेन आर्मी ने हिस्सा लिया।

■ चीफ गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांस्वा ओलांद की मौजूदगी में उनकी आर्मी ने मार्च पास्ट किया।

■ फ्रांस की जो 35जी इन्फ्रेंट्री रेजीमेंट परेड में आई, उसका पुराना इतिहास है। यह रेजीमेंट 1781 से 1784 के बीच भारत में थी।

■ तब इस रेजीमेंट ने टीपू सुल्तान के सपोर्ट में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। हालांकि, फ्रेंच आर्मी यह जंग नहीं जीत पाई थी।

■ जंग कर्नाटक के कुड्डालूर में हुई थी। फ्रांस की 12000 जवानों की आर्मी थी। टीपू सुल्तान के पास 2000 घुड़सवार थे।

■ इस 14000 की फौज का सामना अंग्रेजों की 11 हजार की फौज से था।

■ इससे पहले 1781 से चल रही जंग के दौरान टीपू के पिता हैदर अली मारे गए थे। कुड्डालूर की जंग के बाद टीपू को पीछे हटना पड़ा था।

■ इस जंग में टीपू सुल्तान के घुड़सवारों की टुकड़ी ने हिस्सा लिया था जो दशकों बाद जाकर मैसूर लांसर कहलाने लगी।

■ दिलचस्प बात यह है कि मैसूर लांसर की ही एक टुकड़ी 26 जनवरी 2016 को फ्रेंच आर्मी के तुरंत बाद राजपथ से गुजरी।

डॉग स्क्वॉड नजर आया, कम हुआ परेड का वक्त

■ आर्मी डॉग स्क्वॉड 26 साल बाद रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुआ। इसमें 1200 डॉग्स हैं।

■ इनमें लेब्राडोर, बेल्जियम शेफर्ड्स, जर्मन शेफर्ड्स जैसी नस्ल शामिल हैं। रिपब्लिक डे परेड के लिए 36 डॉग्स सिलेक्ट किए गए थे।

■ पहली बार इलेक्शन कमीशन की भी झांकी नजर आई।

■ हर बार परेड आमतौर पर 115 मिनट की होती है। इस बार यह 90 मिनट की थी।(पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

दुनिया ने देखी हमारी वुमन पावर

■ परेड के दौरान दुनिया ने भारत की वुमन पावर भी देखी।

■ कैप्टन अर्चना सिंह ने आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स के इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रानिक डिफेंस सिस्टम की टुकड़ी को लीड किया। लेफ्टिनेंट कमांडर अनिल रैना के अगुवाई में नेवी का 144 जवानों का मार्चिंग दस्ता राजपथ से गुजरा। इसमें तीन महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर चेतना सोनसाले, लेफ्टिनेंट मनीषा के तक्षक और लेफ्टिनेंट प्रियंका चंद शामिल थीं।

■ एयरफोर्स की मार्चिंग टुकड़ी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शशिकला शेषाद्री मैत्रेय, फ्लाइट लेफ्टिनेंट डेनिस जॉन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिल्पा बाटला जैसी महिला अफसर शामिल थीं।

■ कोस्टगार्ड में असिस्टेंट कमांडर रितिका चौधरी और विश्रुति यादव थीं।

सीआरपीएफ में महिला बटालियन का पूरा दस्ता अलग से था। इसकी अगुआई असिस्टेंट कमांडेंट मीनाक्षी सिंह ने की। (सं.)

त्रिपुरा

गोवा

Digital India
Digital India
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

छत्तीसगढ़

चहकी

डा. शिप्रा शिल्पी
कोलोन, जर्मनी
यूरोप

जीवन के 60 बसंत मानो पलक झपकते ही बीत गए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अब जाकर सुधा और कमल अपना एक छोटा सा आशियाना बना पाये थे। अपना घर यही नाम दिया था उन्होंने गृहप्रवेश के दिन अपने घर को। सुधा के तीनो बेटे, बहुएं, पोते, पोती सारे रिश्तेदारों से वो बड़ा सा घर भी छोटा सा लगने लगा था। फिर बारी बारी सब चले गए और रह गए सिर्फ सुधा कमल और चहकी। अरे हाँ 'चहकी' इसके बारे में तो बताना भूल ही गयी मैं। गृह प्रवेश के अगले दिन सुबह जब सुधा बरामदे में झाड़ू लगा रही थी तो उसने देखा एक गौरैया चुन–चुन कर तिनके ला रही है और अपना घोंसला बना रही थी। जाने क्यों सुधा को बहुत प्यार आया उस पर, बिलकुल उसे अपनी जैसी ही लगी वो। ऐसे ही तो उसने भी अपना घर बनाया था। उससे घोंसला हटाया न गया यद्यपि मुख्य द्वार के बिलकुल सामने से वो दिखता था घर की शोभा में काले धब्बे जैसा।पर सुधा को गौरैया की चहक भाने लगी। एक चहकी और दूसरी सुधा, दो ही बोलते थे दिनभर, बाकी तो खामोशी थी, कमल को कम ही बोलना पसंद था। रोज सुबह उठना और गौरैया के लिए दाना पानी रखना, तथा बिखरे हुए तिनकों को सँवारना जैसे दिनचर्या बन गयी थी सुधा के लिए एक दो बार कमल ने टोका भी पर फिर सुधा का लगाव देखकर वो चुप ही हो गए। सुधा ने गौरैया की मीठी मीठी चहक से मोहित होकर उसका नाम चहकी रख दिया।खूब बातें करती थी वो चहकी से अपने दिल की हर बात, जैसे वो सब समझ रही हो।आज जाने क्या विशेष था कि मुँह अँधेरे से ही चहकी की बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही थी सुधा डर गयी नंगे पैर भागी अरे कही बिल्ली तो नहीं आ गयी? पर जब रोशनी डाली घोंसले पर तो मानो सारा बदन

खुशी से सिहर उठा। दो नन्ही नन्ही चहकी झाँक रही थीं घोंसले से। वो सो. चने लगी उड़! मातृत्व की खुशी और पीड़ा सामान ही तो है हम मनुष्यों और पक्षियों में। इसीलिए चहकी पीड़ा भरी खुशी से चहक रही थी। अब तो सुधा की व्यस्तता और भी बड़ा गयी परिवार जो बड़ गया था। दिन में सौ चक्कर लगाना कि कहीं बिल्ली ना आ जाए। समय पर दाना पानी रखना।चहकी भी सुधा के प्यार को समझती थी अब तो उसके कंधो और हथेलियों पर बैठ भी जाती थी घंटो सुधा की गोद में खेलती थी। सुधा के मन में कई बार ख्याल आया उसने कमल से कहा भी कि चहकी का घोंसला बिजली के मीटर के ऊपर है हो सके तो मीटर वहां से हटा दो घोंसला तो हटा नहीं सकते। कमल ने कहा करवा दूंगा फिर बड़े बेटे का होली पर घर आने का सुन सुधा तैयारियों में जुट गयी ,कमल भी व्यस्त हो गए। बेटा बहू बच्चे सब आये। घोंसला देखकर बेटा तो बिल्कुल ही नाराज हो गया कहने लगा कि ये क्या मम्मी? नए घर पर दाग लग रहा है हटाने क्यों नहीं देती। चुप थी कैसे बताती अपने व चहकी के दिल के रिश्ते को। कैसे कहती वो जब तुम सब लोग हमें छोड कर चले गए थे तब चहकी ने ही मन को सँभाला था। आज सबको जाना था सुधा की तरह चहकी भी खामोश थी सुबह से ही लाइट भी आँख मिचौली कर रही थी सब गाड़ी में सामान रख ही रहे थे कि तभी एक तेज आवाज आई! भड़ाम... मीटर में से आग निकल रही थी कमल और बेटा उसे बुझाने में लगे थे, सुधा इलेक्ट्रिशियन को फोन कर रही थी। बच्चे सहम गए थे। इलक्ट्रिशियन आ गया था। ईश्वर का शुक्र था कि आग घोंसले के आगे नहीं बड़ी थी। घोंसला...ओह्ह्ह...सुधा जैसे होश में आई और बदहवास भागी! आग. ..घोसला...चहकी...पर सब खत्म हो चुका था। चहकी राख हो चुकी थी। बेटा बोले जा रहा था काट दिया होगा तार, चिड़ियों ने! और बसाओ घर पर। तभी इलेक्ट्रिशियन बोला ष्भैया घोंसले ने पूरा घर बचा लिया। वरना घोंसला नहीं पूरा घर राख हो जाता।सुधा रो रही थी रोती ही जा रही थी, चहकी ने उसके ममत्व का मोल चुका दिया था अपना घोंसला राख करके उसका घोंसला बचा लिया था। उसने भाग कर चहकी की जली देह को सीने से लगा लिया, कौन कहता है पक्षी प्यार नहीं समझते! इंसान भले न निभाये पर ये बेजुबान जान देकर भी प्यार निभाते है! आंसू!! पीड़ा! वेदना!! सुधा और उसकी चहकी।

'हिन्दी हूँ मैं'

रेखा देवी झा

हिन्द की अमर वाणी ,
राष्ट्र भाषा की कहानी,
गौरवता की निशानी,
विश्व संगठन की दीवानी,
आम–भाषा की जवानी,
है सरसता की ये रानी,
माधुर्यता की। ठकुरानी,
सुगम,सुबोध,सुविचार,
सद्ज्ञान की महारानी ,
हर भारतीय मुख–मंडल पर,
भाषा की मैं निशानी,
हिन्दी हूँ मैं,
भारतीय मानस पटल पर,
लिखित मेरी कहानी,
भाषा अनूप हूँ ,विचार हूँ,
क्यो जागृति में हो रही मनमानी,
हिन्दी हूँ मैं,हिन्दी हूँ,,
जगत की निशानी,
मै हिंदी हूँ।

लेखिका –रेखा देवी 'झा'

गांव का भ्रष्ट आचरण कमली चली गई!

धीरज

"
हँसती गाती
रही हमेशा
अक्सर ही
इतराती थी!
संग सुमन के रही खेलती
मन ही मन हर्षाती थी!
उस उपवन के माली से ही
मसली कली गई!
देख गाँव का भ्रष्ट। "
माथ पकड़कर झिनकन
रोता
रोती बहुत कटोरी है!
हाय विधाता क्या कर डाला
किसकी सीनाजोरी है!
बड़की छुटकी बचीं भाग्य
से
मँझली छली गई!
देख गाँव का भ्रष्ट। "
मुखिया जी सब जान
रहे थे
किसने अस्मत लूटी थी!
और बिचारी क्यौंकर
आखिर
अन्दर से वह टूटी थी!
देशी दारू थी पहले ही
मछली तली गई!
देख गाँव का भ्रष्ट। "
थोड़ा सा वह हिम्मत करती
और बजाती जो डंका!
रावण तो मरता ही मरता
खूब जलाती वह लंका!
कैसे कह दूँ ठीक किया औ
पगली भली गई!
देख गाँव का भ्रष्ट।

राजा भोज का पछतावा

अश्विनी मिश्र

एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा भोज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीनकर राजकोष में जमा कर दी जाए।

व्यापारी जब तक वहां रहा राजा का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता। कुछ देर बाद व्यापारी चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के ही एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों के लिए बड़ा खेद होने लगा।

राजा भोज ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूं। आज मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार क्यों आया? उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताकर समाधान पूछा। मन्त्री ने कहा– इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए।

मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर–उधर के सोच–विचार में समय न खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गाँठने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा– मित्र तुम चिन्तित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चन्दन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी?

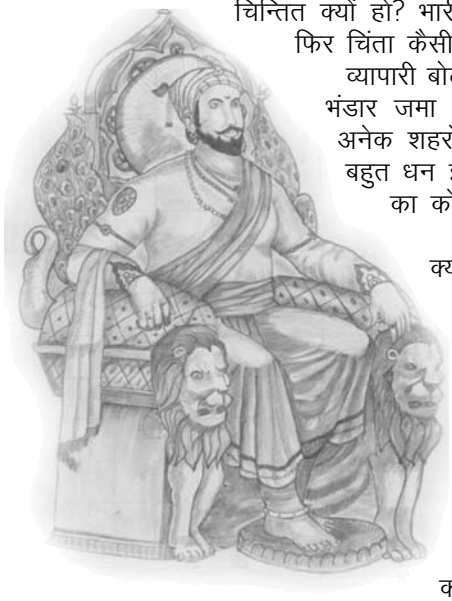

व्यापारी बोला– मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाडियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए पर नहीं बिक रहा है। बहुत धन इसमें फंसा पडा है। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है।

व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा– क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं? व्यापारी हंसकर कहने लगा– अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह–संस्कार के लिए सारा चन्दन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है।

व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा– तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए चालीस किलो चन्दन राजरसोई भेज दिया करो। पैसे उसी समय मिल जाएंगे।

व्यापारी यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन और नकद चंदन बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे।

एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वह व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों को वहां आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है। इसे कुछ पुरस्कार स्वरूप अवश्य दिया जाना चाहिए।

राजा ने मंत्री से कहा– यह व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मन्त्री ने उत्तर देते हुए कहा– महाराज! मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूं। यह जब पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता रहता है। इसलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है, वैसा ही प्रतिबिम्ब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजते भावों का उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी किसी से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ ही मिलें। ताकि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकले और वह व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से आप के पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सके क्योंकि जैसी दृष्टि होगी, वैसी सृष्टि होगी।

बृजमोहन

बेनेली ने पेश की सभी रास्तों में आसानी से चलने वाली ये बाइक

इटालियन बाइक निर्माता कंपनी बेनेली ने अपनी एडवेंचरर बाइक टीआरके 502 को ऑटो एक्सपो 2016 के दौरान पेश किया है। इस बाइक ने इंडियन बाइक लवर्स को आकर्षित किया था। अब कंपनी ने इस बाइक को भारत में अपने पार्टनर डीएसके मोटोवील्स के साथ मिलकर पेश किया है। इस बाइक के इंजन की क्षमता, इसके कॉम्पैक्ट डाइमेंशन्स और प्राइसिंग को देखा जाए तो भारत में डीएसके–बेनेली की यह बेस्ट सेलर बाइक साबित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि भारत में फिलहाल बिक रहीं एडवेंचर बाइक्स काफी महंगी हैं और आकार में भी बड़ी हैं। भारतीय बाइक मार्केट में पिछले कुछ सालों में एडवेंचरर बाइक्स की मांग बढ़ी है और भारतीय सड़कों की हालत को देखते हुए यहां के बाजार में धीरे–धीरे एडवेंचरर टूरर्स कब्जा जमा सकती हैं। यही वजह है कि बेनेली टीआरके 502 भारतीय बाइकर्स की पसंद बन सकती है। अपनी डिजाइन की वजह से यह बाइक आम सड़कों से लेकर उबड–खाबड़ रास्तों में भी आसानी से चलेगी।

केवल डीजल मॉडल में मिलेगी मारूति ब्रीजा

भारत की सबसे निर्माता कंपनी मारूति सुजुकी ने अपनी बहुप्रतीक्षित कॉम्पैक्ट एसयूवी कार मारूति ब्रीजा को पेश किया है। कंपनी इस कार की बिक्री मार्च से शुरू करेगी।

कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने इस कार को लॉन्च करते हुए कहा कि हमें इस कार को पेश करते हुए गर्व हो रहा है। यह कार बिल्कुल नए और यूनीक प्रोसेस के तहत डिजाइन की गई है। इसे बनाते समय देश के कस्टमर्स के टेस्ट और वैल्यू को ध्यान में रखा गया है।

Maruti Vitara Brezza में 1.3 लीटर 300डीडीआई इंजल लगा है जिसमें 5–स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है। यह कार 6 वेरियंट एलडीआई, एलडीआई ऑप्शन, वीडीआई ऑप्शन, जेडडीआई और जेडडीआई में उपलब्ध होगी। हालांकि कुछ समय बाद इसका पेट्रोल मॉडल भी पेश किया जाएगा। मारूति की इस नई एसयूवी कार में ड्राइवर एयरबैग दिया जाएगा, जबकि पैसेंजर एयरबैग और एबीएस को ऑप्शनल रखा गया है। ग्राहक अपनी मर्जी के अनुसार पेसेंजर एयरबैग इसमें लगवा सकते हैं। ब्रीजा में एपल कार प्ले के साथ स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें मैपकेयर के साथ इन्बिल्ट नेविगेशन, कीलेस एंट्री, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड अपर ग्लोवबॉक्स और स्लाइडिंग फ्रंट आर्म रेस्ट जैसे खास फीचर्स दिए गए हैं जो इसे बेहतर बनाएंगे।

समय किसी से भेद–भाव नहीं करता।

भारत के मैनचेस्टर को लगी नजर

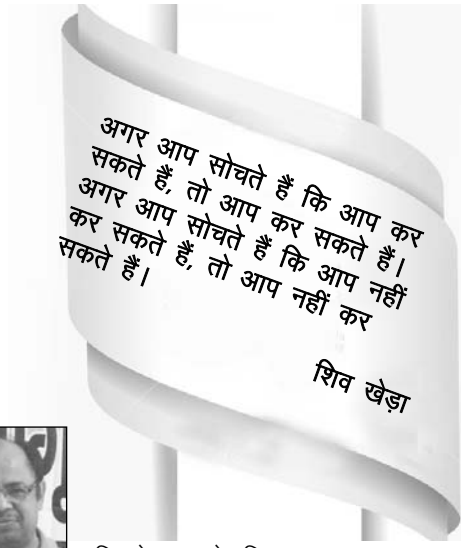

नीरज बंसल

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र कानपुर को आज से करीब चालीस साल पहले तक एशिया का मेनचेस्टर (मेनचेस्टर शहर बीते कई दशकों से उद्योग का एक बड़ा केंद्र है) माना जाता था। कानपुर भारत का ऐसा एकमात्र शहर था, जहां सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादन होता था। देश की बड़ती अर्थव्यवस्था में कानपुर का बेहद महत्त्वपूर्ण योगदान हुआ करता था।

आजादी के पहले भी यह शहर अंग्रेजों का एक महत्त्वपूर्ण गढ़ था और शहर में एल्गिन मिल, स्वदेशी मिल व लाल इमली मिल चलायी गईं, जो विश्वभर में कपड़ा उत्पादन के लिए मशहूर थीं। इन मिलों में लाखों लोगों को रोजगार मिला। आजादी के बाद 1947 से 1971 तक कम्युनिस्ट पार्टी के एसएम बनर्जी कानपुर के सांसद थे, जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन मिलों को और बढ़ाया। 1974 तक शहर की इन मिलों ने पूरी दुनिया में शहर का कद बढ़ाया, लेकिन देश में इमरजेंसी लगने के बाद से ही कानपुर को ग्रहण लगना शुरू हो गया।

केंद्र सरकार की अनदेखी और इमरजेंसी के दौरान आए राजनीतिक भूचाल का असर सीधे तौर पर इन मिलों पर पड़ा और 1990 तक इन मिलों में कपडा उत्पादन दिन–प्रतिदिन घटने लगा। कुछ सालों बाद यह मिलें बंदी की कगार पर आ गईं और यहां काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कानपुर डगमगा रहा था और उसे फिर खड़ा किया चमड़ा व पान मसाला के उद्योग ने। शहर के जाजमऊ इलाके में सैकड़ों टेनरियां खुली। यही नहीं यहां पान मसाला और गुटखा का उत्पादन करने वाली कई फैक्टरियां खुली। शहर में बनने वाले चमड़े व मसालों की सप्लाई न केवल पूरे देश में हुई बल्कि भारी मात्र में निर्यात भी शुरू किया गया। शहरवासियों ने इन उद्योगों को आगे बढ़ाकर कानपुर का नाम फिर पूरी दुनिया में ऊंचा किया, लेकिन कामयाबी का सिलसिला कुछ सालों में फिर थमने लगा। प्रदेश में 1990 से अभी तक बीएसपी, बीजेपी और सपा की सरकारें रहीं, लेकिन राज्य सरकारों की अनदेखी के चलते शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब होता चला गया। शहर की सड़कें खस्ताहाल होती गईं और बिजली कटौती तेजी से बढ़ती गई। रोजगार के लिए कानपुर में आसपास के कई राज्यों से लाखों लोग आए, जिससे शहर की आबादी बढ़ती गई, लेकिन बिजली सप्लाई कम होती गई। संसाधनों की कमी के चलते शहर के हजारों मसाला व्यापारियों ने कानपुर से अपनी फैक्टरियां हटाकर अन्य शहरों और राज्यों में पलायन किया। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जाजमऊ इलाके में स्थित चमड़ा व्यापारियों ने फैक्टरियों से निकलने वाले कूड़े को भारी मात्रा में गंगा में फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां कूड़े के डिस्पोजल के लिए प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए, जिससे गंगा बुरी तरह दूषित हुई। उद्योग के कारण शहर में प्रदूषण भी बढ़ता गया। जब प्रदूषण शहरवासियों के लिए जानलेवा साबित होने लगा तो राज्य सरकारों और शहर प्रशासन ने फैक्टरियों पर चालान करना शुरू कर दिया। कई फैक्टरियों को बंद भी करा दिया गया।

चमड़ा व्यापारियों ने मांग की कि उन्हें शहर के बाहर जमीन दी जाए, ताकि वो अपना उद्योग वहां लगा सकें, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए। इस कारण चमड़ा व्यापारियों ने भी कानपुर से पलायन कर कलकत्ता, आगरा और उन्नाव की ओर रुख किया। सन 2000 के मुकाबले शहर में केवल 30 प्रतिशत ही चमड़ा और मसाले का व्यापार बचा हुआ है। लेदर कॉउंसिल आफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में 12,000 करोड़ का चमड़ा व्यापार था, जो घटकर महज 3200 करोड़ रह गया है। शहरवा. सियों को काफी उम्मीदें थी कि लाल इमली व एल्गिन जैसी बड़ी मिलें फिर से शुरू कराई जाएंगी, लेकिन सरकार की कारगुजारी के चलते कोई कदम नहीं उठ पाया और 2005 में इन दोनों मिलों में ताला लग गया।

क्या सपा में आएंगे अमर, मुलायम ने खोला राज

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अमर सिंह पार्टी में रहें या न रहें लेकिन उनके दिल में मौजूद हैं। सपा मुखिया के इस बयान से अमर सिंह के पार्टी में वापसी को लेकर चल रही अटकलों को बल मिला है।

पार्टी के अंदरखाने में चर्चा है कि सपा मुखिया जल्द ही इस संबंध में बड़ा फैसला ले सकते हैं। इटावा पहुंचे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सिंचाई डाक बंगले में पत्रकारों के सवालों का बड़े ही रहस्यमय तरीके से जवाब दिया। हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखने वाले सपा मुखिया बृहस्पतिवार को बदले–बदले नजर आए।

अमर सिंह के सवाल के साथ ही उन्होंने किसी भी सवाल का साफ जवाब नहीं दिया। अरुणाचल प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर भी उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। केंद्र या कांग्रेस के रुख पर कोई टिप्पणी किए बगैर कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पूर्वोत्तर राज्यों के हालात सही नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि जब वह खुद केंद्र सरकार में मंत्री थे, तब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा किया था। असम के लोग बहुतायत में मलेरिया से ग्रसित रहते हैं। सरकार के कामकाज के सवाल पर उन्होंने तारीफ की। कहा कि अखिलेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इससे आम जनता को लाभ मिल रहा है।(सं.)

ब्लैक मनी और डॉक्टरी

कपिल सिंघल

प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में डोनेशन से एडमिशन की चर्चा लंबे समय से होती रही है, लेकिन हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इसका अंदाजा तह तक जाकर लगाने की कोशिशें कम ही हुई हैं। इस दिशा में नई जमीन तोड़ने जैसा एक प्रयास एक अंग्रेजी अखबार ने किया है। यह कारोबार मुख्यतः ब्लैकमनी पर आधारित है इसलिए न तो इसमें लेन–देन का कोई रिकार्ड मिलता है, न ही ऐसा कोई ठोस सबूत हाथ लगता है जिसके आधार पर पुख्ता नतीजे निकाले जा सकें। फिर भी ऐसे कई संकेत सामने आए हैं, जिनका सिरा पकड़ कर आगे बढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए आईआईटी या एम्स जैसे अखबारों में कभी नहीं दिखता, लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन से संबंधित विज्ञापन देश भर के अखबारों में छाए रहते हैं। सवाल है कि अगर इन मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन टैलेंट पर आधारित है तो फिर कोई इनमें एडमिशन की गारंटी कैसे दे सकता है। तमाम कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराते हैं और दावा करते हैं कि उनके यहां नामांकन इन्हीं परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर होता है। बावजूद इसके न तो इन विज्ञापनों पर होने वाले खर्च को फालतू माना जा रहा है, न ही ये विज्ञापन अविश्वसनीय साबित हो पा रहे हैं। यह इस बात का ठोस संकेत है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरुर है। गौरतलब है कि देश के कुल 422 मेडिकल कॉलेजों में से 224 प्राइवेट हैं। इन प्राइवेट कॉलेजों के दायरे में एमबीबीएस की 53 फीसद सीटें आती हैं। ज्यादातर राज्यों में कॉलेजों के पास 15 फीसद एनआरआई कोटा होता है जिसमें मैनेजमेंट अपने विवेक के आधार पर किसी को भी एडमिशन दे सकता है। मगर अधिकतर कॉलेज मैनेजमेंट कोटा ही नहीं तथाकथित टैलेंट कोटा की सीटें भी इसी तरह निकाल देते हैं। इसीलिए अक्सर इन कॉलेजों में ऐसे स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हो जाता है जो प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हुए या न हुए हों, या इनमें उनका प्रदर्शन कैसा भी रहा हो। शर्त सिर्फ एक है कि उनके पैरंट्स अपनी गांठ ढीली करने को तैयार हो। अनुमान के मुताबिक बेंगलुरु के अच्छे माने जाने वाले कॉलेजों में एमबीबीएस के दाखिले के लिए आवश्यक रकम एक करोड़ तक पहुंचती है जबकि यूपी के कॉलेजों में यह 20–25 लाख तक बैठती है। एमडी की सीटों का खर्च तो 3 करोड़ रुपए तक जाता है। मोटे अनुमान के मुताबिक शुद्ध काले धन पर चलने वाले इस कारोबार का सालाना आकार 12 हजार करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। विदेशों से काला धन वापस लाने के बड़े–बड़े दावों के सहारे सत्ता में आई मोदी सरकार को ब्लैकमनी के इस प्रकट स्रोत की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करें कि इस रिपोर्ट से मिले अहम सुरागों का सरकारी एजेंसियां बेकार नहीं जाने देंगी।

आने वाले दिन का कार्यक्रम रात में ही बना लिजिए।

कृष्ण और अर्जुन कथा

एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राहमण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गयी और उन्होंने उस ब्राहमण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। जिसे पाकर ब्राहमण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुन्दर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किन्तु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था, राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राहमण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राहमण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा।

ब्राहमण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया, ब्राहमण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गयी अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राहमण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राहमण उसे लेकर घर पंहुचा उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था, ब्राह्मण ने चोर होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया। किन्तु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गयी। इस बीच ब्राहमण की स्त्री नदी में जल लेने चली गयी किन्तु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया, उसने सोंचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ, ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को ले कर चली गई और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया।

ब्राहमण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे इस अभागे ब्राहमण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राहमण को दो पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पुछा "प्रभु मेरी दी मुद्राए और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके तो इन दो पैसो से इसका क्या होगा"?

यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राहमण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राहमण सोचता हुआ जा रहा था कि दो पैसो से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया ? प्रभु की यह कैसी लीला है ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था उसकी दृष्टि एक मछुवारे पर पड़ी, उसने देखा कि मछुवारे के जाल में एक मछली फँसी है, और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राहमण को उस मछली पर दया आ गयी। उसने सोचा इन दो पैसो से पेट की आग तो बुझेगी नहीं। क्यों? न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाये।

यह सोचकर उसने दो पैसो में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा ,वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राहमण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा "मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राहमण की मुद्राये लूटी थी।

उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना "मिल गया मिल गया" लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोंचा कि ब्राहमण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है, अब जाकर राजदरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राहमण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा। और उससे लूटी हुई सारी मुद्राये भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नत मस्तक हुए बिना नहीं रह सके।

अर्जुन बोले, प्रभु यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएँ और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका वह आपके दो पैसो ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा "अर्जुन यह अपनी सोच का अंतर है, जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएँ और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा। किन्तु जब मैंने उसको दो पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुःख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन–सत्य तो यह है कि, जब आप दूसरों के दुःख के विषय में सोंचते है, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं, और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। **(महेन्द्र कुमार पांडेय)**

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के शिक्षा पर विचार

1– शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जिसे पीकर हर व्यक्ति दहाड़ने लगता है।

2– शिक्षा ही विकास का माध्यम है इसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिये।

3– शिक्षा सस्ती से सस्ती हो जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके।

4– शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है,
शिक्षा के मार्ग सभी के लिए खुले होने चाहिए।

5– किसी समाज की प्रगति उस समाज के बुद्धिमान, कर्मठ और उत्साही युवाओं पर निर्भर करती है।

6– मैंने जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, आप भी प्राप्त कीजिए।

7– केवल परीक्षा पास करने तथा पद प्राप्त करने से शिक्षा का क्या उपयोग?
आपको यह याद रखना चाहिए कि कोई समाज जागृत, सुशिक्षित और स्वाभिमानी होगा तभी उसका विकास होगा।

8– अपने गरीब और अज्ञानी भाईयों की सेवा करना प्रत्येक शिक्षित नागरिक का प्रथम कर्तव्य है।

9– बड़े अधिकार के पद पाते ही शिक्षित भाई अपने अशिक्षित भाईयों को भूल जाते हैं। यदि उन्होंने अपने असंख्य भाईयों की ओर ध्यान नहीं दिया तो समाज का पतन निश्चित है।

10–अपने बच्चों को विद्यालय जरुर भेजें। उन्हें शिक्षित बनाऐं।

11– शिक्षा के बिना समाज को सुधारने का और कोई चारा नहीं है।

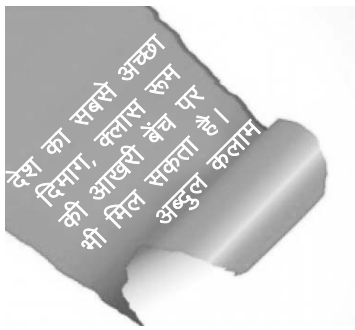

जीडीए उद्यान अनुभाग द्वारा आर. टी.आई.12 नियमों की अवहेलना

उत्तर प्रदेश सरकार आये दिन सूचना अधिकार अधिनियम को सशक्त बनाने के लिये सूचना आयुक्त के निर्देशों पर जागरूकता सेमिनार कर रही है। यही नहीं आये दिन प्रदेश सूचना आयुक्त जन सूचना अधिकारियों पर लाखों–लाख का जुर्माना थोक के भाव कर रहे हैं परंतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उद्यान अनुभाग के जनसचूना अधिकारियों और उनके मातहतों पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। आलम यह है कि सरकारी सूचनाओं को जान–बूझकर छिपाने की को. शिशें आये दिन की जा रही हैं। यही नहीं आवेदकों को आये दिन दौड़ाया जाता है। कहने के लिए सूचना अधिकार में दस रुपये शुल्क लगता है और सूचना मात्र दो रुपये में प्रति पेज देने का प्रावधान है। लेकिन एक पेज प्राप्त करने के लिए आवेदकों को पांच सौ से अधिक का ईंधन, किराया और समय बर्बाद करना पड़ रहा है जिस ओर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय यादव को जागना चाहिए, मगर अफसोस वो ऐसा कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रहे हैं।

प्राप्त समाचार के अनुसार राजेश्वर रॉय द्वारा कुल सात बिन्दुओं पर आधारित आरटीआई आवेदन उद्यान अनुभाग,जीडीए से संबंधित दिनांक 22.9.2015 को किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 15.10.2015 को जन सूचनाधिकारी,प्रशासन श्री दयानन्द प्रसाद ने बिन्दु संख्या एक से चार की सूचना स्पष्ट तौर पर देकर शेष बिन्दुओं की सूचना हेतु आवेदन को उद्यान अनुभाग में हस्तांतरित कर दिया। जहां से दिनांक 19.10.2015 को बिन्दु संख्या सात के सूचना प्राप्ति हेतु सहायक जनसूचना अधिकारी श्री गोविंद कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि अगस्त,सितम्बर 2015 में जारी कुल 53 ठेकों के वर्क आर्डर्स के 53 पेजों की छायाप्रति के लिए दो रुपये के हिसाब से पैसा जमा कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। आवेदक द्वारा दिनांक 19.11.2015 को गाजियाबाद के 35, नवयुग मार्किट स्थित विजया बैंक की शाखा के खाता नं। 711301011003105 में आवेदक द्वारा चाही गई राशि को जमा करा दिया गया और रसीद की एक प्रति सहायक जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई जिन्होंने सूचना उपलब्ध कराने के लिए उद्यान निरीक्षक संजीव कुमार को निर्देश दिया परंतु उक्त उद्यान निरीक्षक आवेदक को दो बार दौड़ा चुके हैं लेकिन सूचना नहीं दिये।(सं.)

लकीर के फकीर

दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी कुछ वकील और विधिवेत्ता ऐसे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपने सिर धंसाए रहना चाहते हैं और लोकहित वाद के परिणामस्वरुप न्यायिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। प्रतिपक्षी न्याय की अंग्रेजी परंपरा में प्रशिक्षित और उस काल में जन्में और बढ़े, जब अबंध सिद्धांत का बोलबाला था, ये बुद्धि से अश्मभूत और सठियाए लोग प्राचीन गलियारों में सरसराती हुई बदलाव की नई हवा के साथ अपना मेल नहीं बिठा पा रहे हैं। वे बौद्धि रुप से अब भी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध या शायद 19वीं शताब्दी में ही रह रहे हैं और उस सोच से बाहर निकल कर अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। वे बंधी लकीर पर चलने के इतने अभ्यस्त हैं कि उससे कोई विचलन अथवा परिवर्तन उन्हें सहन नहीं होता। उनकी दृष्टि में न्याय की प्रक्रिया केवल एक बौद्धिक व्यायाम है जिसमें न्यायधीश और वकील अपनी विद्या और विद्वता का प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी दुनिया में सर्वहारा और असहायों निचले वर्ग के और गुमनाम लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे चाहते हैं कि न्यायपालिका उसी जर्जर और पुरावशिष्ट आंग्ल–सेक्सन न्यायशास्त्र की प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए न्याय प्रदान करती रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि में इस न्यायशास्त्र का समर्थन करते हुए न्याय प्रदान करने वाले लोग देवताओं के समान हैं। किंतु न्याय के ये तथाकथित पक्षधर यह नहीं समझते कि देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें न्याय चाहिए और अगर उन्हें यह शीघ्र न मिला तो वे एक दिन राजमार्गों पर धावा बोल देंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे जिनका दावा है कि उन पर चलने का अधिकार केवल हमारा ही है। सौभाग्य से, लोकहित वाद के फलस्वरुप जनता के कमजोर वर्ग समुदाय के अलाभग्रस्त तबके अब पहली बार अन्याय से संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था के रुप में न्यायालयों पर आंख गड़ाए हैं। अब तक वे न्यायालयों के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाते थे। किंतु अब लोकहित वाद के माध्यम से उनकी समस्याएं न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती हैं। उन मुट्ठी भर लोगों की निराधार आलोचना के होते हुए भी जो समाज से कट कर विशाल भवनों के वासी हैं और जिन्हें समाज के उस पद्दलित वर्ग के दुःख, पीड़ा और शोषण की कोई चिंता नहीं है जो देश की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं। हमारी न्यायिक प्रक्रिया में एक क्रांति सी आ रही है।(पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती)

एक समय में एक ही कार्य करें दूसरे कार्यों अथवा बातों को भूल जाएं।

कूड़ा उठाने सड़कों पर उतरी दिल्ली सरकार

एमसीडी सफाईकर्मियों के हड़ताल से बढ़ते कूड़े के ढेर को हटाने की कमान दिल्ली सरकार ने थाम ली है। कचरा हटाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई। लोकनिर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन को कूड़ा हटाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिए है। पूरे शहर से कचरा हटाने का आदेश भी दे दिया गया है। दूसरी ओर सिसोदिया ने नगर निगम को पूर्व में दिए पैसे का खर्च सार्वजनिक करने की मांग की है, सिसोदिया ने अंदेशा जताया कि नगर निगम में कर्मचारियों का वेतन न देकर बड़ा घपला किया गया है। एमसीडी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से दिल्ली की सफाई का बीड़ा सरकार ने उठाया है। ढलावा. ं से कूड़ा हटाने के लिए 91 विशेष टीमें गठित की है। ये टीमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों से कूड़ा उठा रही हैं।

पारुल भारद्वाज

मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ मैं सबकुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ।

हेलेन केलर

कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्वाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है।

शिव खेड़ा

किसी दिन , जब आपके सामने कोई समस्या ना आये तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद

किसी डिग्री का ना होन दरअसल फायेदेमंद है, अगर आप इंजिनियर या डाक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद

काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं फारुख अब्दुल्ला

श्रीनगर के एक प्रतिष्ठित उर्दू अखबार में प्रकाशित एक लेख में फारुख अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके स्वर्गीय पिता शेख अब्दुल्ला यह जानकर खुश होते कि कश्मीरी नौजवान अपना अधिकार पाने के लिए बंदूक उठा रहे हैं। यह और कुछ नहीं, फारुख की कल्पना की उपज है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की भी इसी तरह की सोच थी। उन्होंने कश्मीर में इसी उम्मीद से घुसपैठिए भेजे थे कि कश्मीरी भारत के खिलाफ विद्रोह कर देंगे और पाकिस्तान में विलय की मांग में उनके साथ हो जाएंगे। वह गलत साबित हुए। स्वभाव से सूफी, कश्मीरी कट्टरपंथ और धर्म यानि इस्लाम के आधार पर विलय के फैसले के खिलाफ थे। पाकिस्तान के घुसपैठियों को कश्मीरियों ने ही ढूंढ निकाला था और भारतीय फौज के हवाले किया था। मैं शेख साहब को अच्छी तरह जानता था। आपातकाल के दौरान तीन महीने जेल में रहने के बाद जब मैं श्रीनगर आया और उनके कार्यालय को अपने वहां होने की सूचना दी तो होटल आकर मुझसे मिलने वाले वह पहले व्यक्ति थे। मुझे उनके शब्द याद हैं, अब तुम भी हाजी हो गए, जिसका मतलब था, जेल की तीर्थयात्रा। शेख तिहाड़ जेल में मेरी हिरासत के बारे में कह रहे थे क्योंकि मैंने इंदिरा गांधी के निरकुंश शासन के बारे में काफी तीखे ढंग से लिखा था। इसने शेख साहब को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु की ओर से उन्हें तमिलनाडु के

कोडईकनाल में हिरासत में भेजने की याद दिला दी थी।

वह नेहरु के इतने करीब थे कि जब दिल्ली आते थे तो नेहरु के घर ठहरते थे। हिरासत के बाद भी वह उन्हीं के घर रुके थे क्योंकि नेहरु ने अपनी गलती मान ली थी और माफी मांग ली थी।

जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 के तहत स्वायत्तता हासिल है जो कहती है कि विदेश मामलों, प्रतिरक्षा और संचार को छोड़कर संविधान की वे धाराएं जिनसे केंद्र सरकार को अधिकार मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में तभी लागू होंगे जब उन्हें राज्य की संविधान सभा की सहमति मिली हो। दूसरे शब्दों में, संविधान के इन प्रावधानों के कारण जम्मू कश्मीर राज्य को जिस तरह की स्वायत्तता हासिल है वैसी अन्य राज्यों को नहीं है। बाद में शेख साहब ने राज्य की संविधान सभा से प्रस्ताव पारित कराया कि जम्मू कश्मीर ने भारत में स्थायी रूप से विलय किया है। ऐसा करने के पहले उन्होंने सादिक साहब, जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, को यह पता लगाने के लिए पाकिस्तान भेजा कि इस्लामाबाद किस तरह की नीति अपनाने जा रहा है।

रावलपिंडी जिस तरह की नीति अपनाना चाहता था उसके बारे में सादिक साहब की राय जानने के बाद शेख साहब जो महाराजा और ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे, ने भारत में शामिल होने में जरा भी देर नहीं की क्योंकि उनका दिल एक अनेकतावादी राज्य बनाना चाहता था। एक लोकतांत्रिक भारत, जहां धार्मिक स्वतंत्रता होगी, उनकी स्वाभाविक पसंद थी क्योंकि पाकिस्तान उस समय इस्लाम के कीचड़ में लोट रहा था।

समय बीतने के साथ, हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी तकरार के बीच शेख साहब उदारता की अकेली आवाज रह गए थे। मुझे याद है कि मैं जब तिहाड़ जेल से रिहा हुआ तो जेल में हमारे साथ बंद लोगों ने मुझसे श्रीनगर जाने और शेख साहब से आपातकाल के विरोध में बोलने का आग्रह करने के लिए कहा था क्योंकि पूरे देश में उनकी इज्जत थी।

मैं जब श्रीनगर में उनसे मिला तो शेख को सही लगा और उन्होंने साफ शब्दों में आपातकाल की आलोचना करने वाला बयान जारी किया। श्रीमती इंदिरा गांधी समझ गईं कि इस बयान के पीछे शेख साहब के साथ मेरे संबंध थे। लेकिन जरूरी बात आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों का हौसला बढ़ाने की थी। पूरा देश खामोश हो गया था और खुल कर बोलने से डरता था। इसने अच्छे–बुरे, नैतिक–अनैतिक के बीच फर्क करने की समझ खो दी थी।

शेख जब भी बोलते थे पूरा भारत उन्हें सुनता था क्योंकि उनके बयान राज्य की सीमा से बंधे नहीं होते थे। इस प्रकिया में, वह अपनी बात में लोगों की भावना रखते थे।(सं.)

JNU : देशद्रोहियों का साथ देने के आरोप पर बोले राहुल : देशप्रेम मेरे खून, मेरे दिल में

जेएनयू विवाद पर गुरुवार को कांग्रेस डेलिगेशन ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा, श्श्देशप्रेम मेरे खून और दिल में है। जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जेएनयू और सारे स्टूडेंट्स को बदनाम नहीं किया जा सकता।श्श बता दें कि देशद्रोह के आरोप में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में राहुल जेएनयू गए थे।

कन्हैया ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

– पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट और हंगामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंतित हैं। हमारी इस पर नजर है।

– पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सोमवार को मारपीट करने के आरोपी बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा तिलक मार्ग थाने पहुंचे।

– पुलिस ने भेजा था समन। होगी पूछताछ।

– सेंट्रल मिनिस्टर किरन रिजिजू ने कहा, श्श्कन्हैया देशद्रोही गिरोह का नेता। उसके खिलाफ सबूत हैं। देशद्रोह का मामला नहीं हटेगा।श्श

– मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बवाल करने वाले वकीलों ने धमकी दी थी कि पेशी के दौरान वे स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार को जिंदा जला देंगे।

– इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से मेल टुडे की खबर में दावा किया गया है कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में कई यूनिवर्सिटी में शो होने वाला था।

– गुरुवार को उन्हें चाणक्यपुरी स्थि त डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिस में पेश किया गया था।

– सूत्रों के मुताबिक पेशी के दौरान गिलानी से कुछ सवाल –जवाब भी किए गए। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें ज्युडियल कस्टडी में भेज दिया।

– इससे पहले उन्हें 16 फरवरी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, जिसका टाइम आज खत्म हो रहा था।

– गौरतलब है कि एसएआर गिलानी को राष्ट्रद्रोह के केस में अरेस्ट किया गया है।

कोर्ट में कन्हैया से मारपीट, भीड़ ने ६ के वकीलों को पाकिस्तान का एजेंट कहा...

– जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में अरेस्ट स्टूडेंट यूनियन के लीडर कन्हैया कुमार को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।

– आरोप है कि कन्हैया और खालिद ने 9 फरवरी को जेएनयू में कल्चरल इवनिंग के नाम पर एक प्रोग्राम किया, जिसमें अफजल गुरु और कश्मीर की आजादी के सपोर्ट में नारेबाजी की गई।

किसी भी काम को पूरा करने की डेडलाइन हमेशा दिमाग में रखें।

बेजान शहर में अंधी दौड़

एक अंधी दौड। सुबह से शाम तक बस भागते जाना। जिसे देखो वही जल्दी में और भागता हुआ ही मिलता है। कही कोई सुकून नहीं। कही कोई ठहराव नहीं। एक मशीन का सा जीवन जिसमें सब कुछ पहले ही तय करके भर दिया गया हो कि ऐसे चलना है ऐसे मुड़ना है, ऐसे खाना है और ऐसे सोना है। नजर सिर्फ घडी की तरफ और समय के साथ ही नहीं उससे भी आगे चलने का प्रयास। छोटे से और छोटे होते हुये परिवार। सिमटते हुए रिश्ते और उन सिमटे हुये रिश्तो में भी बढ़ती हुई कड़वाहट। सिर्फ धन कमाने की लालसा और उसके लिये भी ये नहीं सोचना, समझना और देखना कि पैसे कमाने के लिये कैसा मार्ग अपनाया जाये। धुए में लिपटा सा जीवन, सांस लेना भी दूभर। ना कोई संस्कृति, ना ही कोई व्यहारिकता बस अपना ही मकसद और उल्लू साधने का प्रयास। हर रोज बनते बिगडते सम्बंध और एक पत्थर बनता हुआ हृदय बस यही पहचान है एक महानगर की। जिसमें हर सुबह एक नई आशंका और एक नई समस्या लेकर आती है।

ऐसी ही एक दिसम्बर की अलसाई सी बहुत ठंडी सुबह थी। ना ही हम बिस्तर से निकलना चाहते थे और ना ही शायद सूरज भी बादलो के बिस्तर से उस ठंड में बाहर निकलना चाहता था। लेकिन आफिस जाना था तो मजबूरी थी और किसी तरह रजाई को त्यागकर बाहर निकले, जल्दी जल्दी जैसे तैसे आफिस के लिये तैयार हुये। कूदते फांदते रोज की तरह एक रोटी और एक गिलास दूध गले से उतार सका। आप लोग इसे नाश्ता भी कह सकते हैं किया, फिर भागता हुआ बिना ये देखे हुए कि जूते के तस्मे भी बंधे हैं कि नही चार्टर्ड बस के लिये बस स्टैंड पर चला आया। वहाँ बस की बाकी सवारी देखी तो संतोष हुआ कि अभी बस गई नहीं है फिर जरा अपनी तरफ नजर डाली और खुले तस्मो को भी ठीक किया। आज चार्टर्ड बस छूटी नहीं, आफिस भी समय पर पहुंच जाऊंगा सोचकर संतोष हुआ। क्योंकि इस बस के छूटने का मतलब दिल्ली की रेंगती इन सडको में फिर से कही जाम में फंस जाना और आफिस देर से पहुंचना। इस बस में इतनी जल्दी आने का कारण भी यही था कि समय बीतने के साथ साथ यातायात बढ़ जाता था और फिर मुश्किल होती थी। एक यही बस थी जिस पर हम निर्भर थे।

बस आई, हम इत्मिनान से उसमे चढ़ गये। बस के भीतर हमेशा की तरह पक्षियो का सा कोलाहल। सभी अपनी अपनी दुनिया में मस्त। कोई झपकियां लेता हुआ तो कोई बाहर झांकता हुआ और इन रेंगती गाड़ियों को देखता हुआ। ऐसा लगता था जैसे कहीं से कोई बांध टूट गया हो और सारे के सारे वाहन एक साथ सड़क पर उतर आये हो। कुछ लोग आपस में देश की राजनैतिक, आर्थिक हालात पर बिना रुके बहस करते हुये। नारियां अपने मोहक परिधानों की चर्चा करती हुयी। कुछ बस में चलते हुये उन अजीब से गानों को सुनते हुये जो बस में बहुत जोर से चल रहे थे में खोये हुये थे। हर एक को बस एक ही चिंता सताये जाती थी कि किसी तरह से ट्रैफिक में व्यवधान ना हो और समय पर आफिस पहुंच जायें। और मैं भी उस हालात में एक कोने की सीट पर सिमटा हुआ विचारों में खोया हुआ था।

अचानक विचारो की तंद्रा टूटी। बस ने जोर से ब्रेक लगाये। दिल धक्क से हो गया। मुंह से निकला लो फिर काम हो गया। आगे जाम है। आज फिर आफिस के लिये लेट हो जायेंगे। जिस बात की आशंका थी वही हो गया था। ये रोज रोज के जाम से आज फिर छुट्कारा नही मिला था। खिड़की से बाहर झांककर देखा तो देखा एक दूसरे से सटे हुये वाहन धुआं छोड़ रहे थे और उनके भीतर बैठे हुये लोग काठ के उल्लुओं की तरह यंत्रवत से बैठे हुये थे। महानगरों के जीवन की पीड़ा और मजबूरी उनके चेहरे से साफ झलकती थी।

अब बस धीरे धीरे रेंगने लगी। हमने आफिस समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड दी और इत्मिनान से चुपचाप बैठे रहे, इसके अतिरिक्त किया भी क्या जा सकता था। लेकिन ये जिज्ञासा बनी रही कि अचानक से ये ब्रेक यातायात पर क्यों लग गया। अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा था और अचानक ये जाम। खैर धीरे धीरे रेंगते हुये लगभग आधे घंटे के बाद बस उस जगह पहुंची जहाँ पर इस जाम का केंद्र था। पता लगा कि कोई साईकिल सवार किसी बस की चपेट में आ गया था और उसकी सडक दुर्घटना में तत्काल मृत्यु हो गई है फलस्वरूप वहाँ पर भीड़ हो गई और यही ट्रैफिक जाम का कारण है।

उस जगह से आगे बढ़े तो आगे यातायात सामान्य था लेकिन अब बस के भीतर का माहौल बदल गया था। लोगों की चर्चा का विषय अब वो साईकिल सवार था। जो झपकी ले रहे थे वे भी उठ गये थे और उन चर्चाओं में शामिल हो गए थे। बजाज साहब फर्मा रहे थे देखिये सरकारें काम नहीं करती हैं, क्यो नहीं इन साईकिल सवारों के लिये अलग से पथ का निर्माण करवाती हैं। बताइए इतने तेज ट्रैफिक में साईकिल चलाने का क्या मतलब है? उसे मरना ही था गलती उसी की है, क्या जरूरत थी इस तेज रफ्तार ट्रैफिक में साईकिल को लाने की। तभी वर्मा जी जो कि कई बार विदेश घूम आये थे और ज्यादातर विदेशी

समय वास्तव में एक अमूल्य निधि है।

कपड़े पहने सजे धजे हमेशा अपने साथ वाली सीट पर बैठी हुई उस दक्षिण भारतीय महिला को घूरते रहते थे अचानक बोल उठे इस देश का भगवान ही मालिक है, अजी विदेश जाईये और देखिये कैसे उन लोगों ने सड़क पर यातायात की व्यवस्था बना रखी है। कितनी आसानी से वहाँ वाहन चलते हैं मजाल है कि कोई दुर्घटना हो जाये सभी लोग यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और अपनी ही लेन में चलते हैं। हर एक के लिये अलग लेन है और लोग नियमों को नहीं तोड़ते हैं। पान चबाते पांडे जी भी इस बहस और चर्चा में कूद गये और बोले अरे वर्मा जी पहले तो ये देखिये कि जब इन साईकिल वालों को पता है इस समय बहुत भीड़ होती है और हर एक को आफिस पहुंचने की भी जल्दी होती है तो फिर क्या ये पहले या फिर बाद में सड़क पर नहीं आ सकते हैं अब जैसी करनी वेसी भरनी। अगर इन गाड़ियों की भीड़ में आप साईकिल लेकर निकलेंगे तो फिर आप मौत को ही तो बुलावा दे रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के कारण तो जाम भी लगता है देखिये ना आज फिर हम सब लोग आफिस के लिये लेट हो गये।

श्रीमती रीमा कपूर जो कि शायद अगले साल ही रिटायर होने वाली हैं लेकिन अपने फैशन में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं और अपने गये योवन को थामने का असफल प्रयास कर रही हैं और कई बार तो ऐसा फैशन कर देती हैं कि चाहे वो देखने वाले को अच्छा लगे या ना लगे लेकिन फिर भी वो बेतरतीब सा फैशन करना ही है। ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चे को ऐसा स्वेटर पहनाया जा रहा हो जिसका गला छोटा हो और उसे जबरदस्ती पहनाया जा रहा हो । वो भी अपने साथ बैठी हुई महिला से धीरे से कह रही थी कि आज तो आफिस से मीमो मिल जायेगा। इतने दिनो से रोज रोज लेट हो रही हूँ और आज तो बास की डांट खानी पड़ेगी। अब बताओ इसमे हमारी क्या गलती है? इस साईकिल वाले को भी अभी मरना था। भगवान जाने आज क्या होगा। और उसके साथ बैठी वो महिला आंखे बंद किये हुये ना जाने उनकी बात सुन भी रही थी कि नहीं। कुछ नौजवान भी बस में बैठे थे और उनमें से एक इस दुर्घटना की तुलना कल ही देखकर आया हुआ एक फिल्म के सीन से करने लगा और फिर उसने एक लम्बी तकरीर उस फिल्म के कई दृष्यों और आज की इस दुर्घटना के साथ तुलना कर दी।

धीरे धीरे वो चर्चा भी समाप्त हो गई। सब फिर अपनी अपनी दुनिया में लौट गये। बस अब भी सड़क पर रेंग रही थी। लेकिन वाह रे महानगर के चरित्र, उस साईकिल सवार के साथ किसी की समवेदना नही। उसकी अकारण और असमय मृत्यु से किसी को कोई लेना देना नहीं। उसकी इस बात पर तो सबको एतराज कि वो क्यों इस तेज रफ्तार ट्रैफिक में चला आया लेकिन किसी को इस बात से मतलब नहीं कि ये साईकिल भी उसने कितने प्रयासों के बाद खरीदी। कोई ये नहीं जानता कि वो जब घर से निकला तो अपनी छोटी सी बेटी से आज शाम को आते हुये एक गुड़िया लाने का वादा करके घर से निकला है। कोई ये नहीं जानता कि वो कैसे इस महानगर में मीलों सड़क का रास्ता तय करके जैसे तैसे अपने घर को चला रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि इस तेज रफ्तार में अगर वो पीछे रह गया है तो प्रयास कर रहा था कि उसकी आने वाली पीढ़ी तो कम से कम इस रफ्तार से कदम से कदम मिलाकर चल सके। उसकी सड़क पर बिखरी हुई रोटी और सब्जी को देखकर किसी के मन में ये प्रश्न नहीं कौंधा कि इसके लिये वो कितनी मेहनत कर रहा था और उसकी बीवी ने सुबह ना जाने कितनी जल्दी उठ्कर उसे ये सब बांधकर दिया होगा। कोई ये नहीं समझता कि अब उस गरीब का घर कैसे चलेगा। कोई ये नहीं जानता था कि वो अकेला था उस घर में कमाने वाला और अब वो घर कैसे चलेगा। अभी थोड़ी देर में और शायद अभी तक उस रोटी सब्जी का भी गुजरते हुये वाहनों के टायरों के नीचे नामों निशान मिट गया होगा जैसे कि उस साईकिल सवार का नामोनिशान मिट गया लेकिन क्या हम अपने स्वार्थों से बाहर निकलेंगे? क्या कभी इस शहर में ऐसी भी संस्कृति विकसित होगी जो सम्वेदनशील भी होगी और जिसमें मानवता भी होगी या हम ऐसे ही इस रफ्तार की भेंट चढ़ते जायेंगे और हमें कोई पछ्तावा भी नहीं होगा।

मेरा आफिस आ गया था। मै बस से भारी कदमों से उतर गया लेकिन बस में फिर से उन सजी धजी नारियों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। वर्मा जी फिर अपनी आदत के अनुसार उस सुंदर सी दक्षिण भारतीय महिला को घूर रहे थे और धीरे से मुस्कुरा रहे थे। बस में इतनी देर में कई गाने बदल बदल कर बदस्तूर जारी थे लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि कभी इन गानों की तरह शायद हमारे विचार और भावनाये भी बदले। **(सुदर्शन बदोला)**

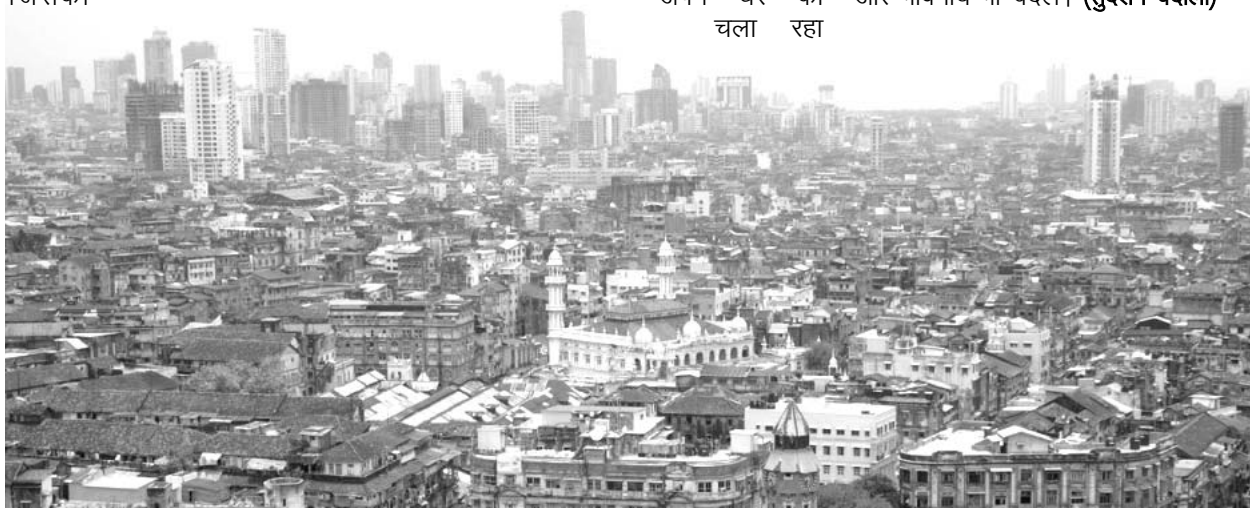

ईश्वर एक बार में एक ही क्षण देता है, दूसरा क्षण देने से पहले पहला वापस ले लेता है।

किसी को भी हो सकती है आंखों की बीमारी काला मोतिया

चालीस वर्षीय संतोष पिछले कुछ दिनों से इस बात से परेशान हैं कि बार–बार उनके चश्मे का नंबर बदल रहा है। साथ ही उन्हें अंधेरे में बहुत कम दिखाई देता है। उन्होंने तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क किया। विभिन्न परीक्षणों से इस बात की पुष्टि हुई कि उन्हें ग्लूकोमा है। डॉक्टर ने बताया चूंकि उनका रोग अभी पहले चरण में ही है इसलिए दवा से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

ग्लूकोमा या काला मोतिया आंखों की एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी के विषय में सबसे चिंताजनक बात यह है कि इससे ग्रस्त ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते कि उन्हें ग्लूकोमा है क्योंकि इस बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते इसलिए मरीज को तभी चल पाता है जबकि उसकी आंखों की दृष्टि क्षमता का ह्रास शुरू हो चुका होता है। इलाज शुरू होने के बाद भी नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। सही इलाज के द्वारा केवल आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है।

आक्वेयस हयमर एक तरल पदार्थ है जो हर वक्त हमारी आंखों में बहता रहता है। यह तरल पदार्थ हमारी आंखों के लैंस, आयरिस तथा कार्निया को पोषण देता है। इस तरल पदार्थ को प्रवाहित करने वाले नाजुक जाल में यदि कोई रुकावट आ जाती है या उसे सही जगह तक ले जाने वाली नस में कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो आईओपी अर्थात इंट्रा आक्सुलर प्रेशर (आंखों में दबाव) इतना बढ़ जाता है कि आप्टिक नर्व को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी को नुकसान पहुंचने लगता है। यदि इसका जल्द से जल्द इलाज न किया जाए तो आइओपी के कारण आप्टिक नर्व को बहुत नुकसान पहुंचता है जिस कारण दिमाग से आंखों का सम्पर्क खत्म हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरह अंधा हो जाता है। आप्टिक नर्व में हुए नुकसान की पुनः भरपाई संभव नहीं होती।

ग्लूकोमा बहुत हद तक अनुवांशिक भी होता है। लघु दृष्टि दोष अर्थात् मायोपिया एवं मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को भी ग्लूकोमा होने की आशंका ज्यादा होती है। वे लोग जिनकी आंखों में आंतरिक दबाव असामान्य रूप से बहुत अधिक हों उन्हें भी यह बीमारी होने की पूरी–पूरी संभावना होती है। वे लोग जो लंबे समय से स्टीरायड या कोर्टिजोन का उपयोग कर रहे हों उन्हें भी ग्लूकोमा होने की संभावना होती है। आंखों में किसी प्रकार की चोट लगने के कारण भी यह रोग हो सकता है।(साभार : इंटरनेट)

जानें क्या हैं अपच के मुख्य कारण

कई बार समय–असमय भोजन करने से, कभी भी व कहीं भी कुछ भी खाने–पीने तथा बार–बार खाते रहने से पहले खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता है और अपच हो जाती है, हलांकि इसके कई और कारण भी हैं।

1 अजीर्ण या अपच पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी होने की वजह से भोजन न पचने को अजीर्ण या अपच (इनडाइजेशन) कहा जाता है। कई बार समय–असमय भोजन करने से, कभी भी व कहीं भी कुछ भी खाने–पीने तथा बार–बार खाते रहने से पहले खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता है। और फिर जब दूसरा भोजन भी पेट में पहुंच जाता है तो ऐसे में पाचनतंत्र भोजन को पूर्ण रूप से नही पचा पाता जो अपच का मुख्य कारण है। कई बार ज्यादा तला–भुना या मिर्च मसाले वाला भोजन करने से भी अपच हो जाती है। लेकिन इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। चलिये जानें क्या हैं वे कारण –

अपच के लक्षण

अपच की समस्या होने पर रोगी को भूख नहीं लगती, खट्टी डकारें आती हैं, छाती में जलन होती है, पेट में भारीपन महसूस होता है तथा लगातार बेचौनी सी महसूस होती रहती है। साथ ही रोगी को पसीना भी अधिक आता है, नींद नहीं आती और कभी–कभी दस्त भी हो जाते हैं।

3 लिवर में किसी खराबी की वजह से लिवर शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि यह खराब हो जाए तो पूरे शरीर का सिस्टम प्रभावित कर देता है। लिवर के साथ हमारे शरीर के कई फंक्शन जु?ो होते हैं। जैसा कि यह शरीर के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है और साथ–साथ शुगर फैट और कोलेस्ट्रॉल पर भी नियंत्रण रखता है, लिवर में हुई कोई खराबी अपच का कारण बन सकती है। (साभार : इंटरनेट)

समय का प्रबंधन कर लेने से समय नष्ट नहीं होता।

मिडिया को करारा थप्पड़...

आज कलम का कागज से ''
मै दंगा करने वाला हूँ,''
मीडिया की सच्चाई को मै ''
नंगा करने वाला हूँ ''
मीडिया जिसको लोकतंत्र का ''
चौंथा खंभा होना था,''
खबरों की पावनता में ''
जिसको गंगा होना था ''
आज वही दिखता है हमको ''
वैश्या के किरदारों में,''
बिकने को तैयार खड़ा है ''
गली चौक बाजारों में''
दाल में काला होता है ''
तुम काली दाल दिखाते हो,''
सुरा सुंदरी उपहारों की ''
खूब मलाई खाते हो''
गले मिले सलमान से आमिर,''
ये खबरों का स्तर है,''
और दिखाते इंद्राणी का ''
कितने फिट का बिस्तर है ''
म्यॉमार में सेना के ''
साहस का खंडन करते हो,''
और हमेशा दाउद का''
तुम महिमा मंडन करते हो''
हिन्दू कोई मर जाए तो ''
घर का मसला कहते हो,''
मुसलमान की मौत को ''
मानवता पे हमला कहते हो''
लोकतंत्र की संप्रभुता पर ''
तुमने कैसा मारा चाटा है,''
सबसे ज्यादा तुमने हिन्दू ''
मुसलमान को बाँटा है''
साठ साल की लूट पे भारी ''
एक सूट दिखलाते हो,''
ओवैसी को भारत का तुम ''
रॉबिनहुड बतलाते हो''
दिल्ली में जब पापी वहशी ''
चीरहरण मे लगे रहे,''
तुम एश्श्वर्या की बेटी के ''
नामकरण मे लगे रहे''
'दिल से' दुनिया समझ रही है''
खेल ये बेहद गंदा है,''
मीडिया हाउस और नही कुछ''
ब्लैकमेलिंग का धंधा है''
गूंगे की आवाज बनो ''
अंधे की लाठी हो जाओ,''
सत्य लिखो निष्पक्ष लिखो ''
और फिर से जिंदा हो जाओ

सलीम खान

बैंकों को 12,000 करोड़ रुपए का तिमाही घाटा

बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से बुरी तरह प्रभावित बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अब तक का सबसे बड़ा 12,000 करोड़ रुपए का कुल तिमाही नुकसान हुआ जबकि एसबीआई, पीएनबी और केनरा के मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज हुई।

बैंक ऑफ बड़ौदा को 3,342 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक का अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही नुकसान है।

आईडीबीआई बैंक को 2,184 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया को 1,505 करोड़ रुपए का भारी–भरकम नुकसान हुआ। इसके अलावा यूको बैंक को 1,497 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 1,425 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 837 करोड़ रुपए तथा देना बैंक को 663 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

जिन बैंकों को 500 करोड़ रुपए से कम का नुकसान हुआ उनमें इलाहाबाद बैंक को 486 करोड़ रुपए, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 425 करोड़ रुपए और कॉर्पोरेशन बैंक को 383 करोड़ रुपए और सिंडीकेट बैंक को 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र के इन 11 बैंकों को तिमाही के दौरान कुल मिलाकर 12,867 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एसबीआई की अगुवाई में सार्वजनिक क्षेत्र के कई प्रमुख बैंकों के मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज हुई। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का मुनाफा 61.6 प्रतिशत गिरकर 1,115.34 करोड़ रुपए पर आ गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,910.06 करोड़ रुपए पर था।

वसूली न किए जा सकने वाले ऋण के लिए बेहतर पूंजी प्रावधान और आपात स्थिति के कारण पीएनबी का मुनाफा 93 प्रतिशत घटकर 51 करोड़ रुपए रह गया जबकि केनरा बैंक का मुनाफा 87 प्रतिशत घटकर 84.9 करोड़ रुपए रहा।

हालांकि इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और विजया बैंक कुछ अच्छी स्थिति में भी रहे जिनके तिमाही मुनाफे में बढ़ोतरी हुई, मसलन पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा तीसरी तिमाही में 55.6 प्रतिशत बढ़कर 89.06 करोड़ रुपए जबकि विजया बैंक का मुनाफा इसी तिमाही में 40.6 प्रतिशत बढ़कर 52.61 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार कुछ पहल करने पर विचार कर रही है ताकि बैंकों को फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए सशक्त बनाया जा सके जिससे कि समस्या का जल्द समाधान हो सके। (साभार :एजेंसी)

विज्ञान के कारण अब अधिक समय मिलने लगा है।